2024

प्रश्न: छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions in developing countries.

उत्तर: प्रवासन, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेहतर रोज़गार के अवसरों और रहने की स्थिति की तलाश में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में कुल आंतरिक प्रवास में ग्रामीण से शहरी प्रवास का भाग 18.9% है।

बड़े शहरों की ओर प्रवासियों को आकर्षित करने वाले कारक

- **बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ:** बड़े शहर परिवहन, आवास और उपयोगिताओं समेत बेहतर बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं, जिससे वे प्रवासियों के लिये अधिक आकर्षक बन जाते हैं।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल:** शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर बेहतर शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ होती हैं, जो बेहतर सेवाओं तथा जीवन की गुणवत्ता की तलाश करने वाले परिवारों को आकर्षित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, बिहार और झारखंड के लोग बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के अवसरों की खोज में दिल्ली तथा कोलकाता जैसे राज्यों में प्रवास करते हैं।
- **आर्थिक अवसर:** छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर बेहतर कार्य के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे- उच्च वेतन तथा विविध रोज़गार क्षेत्र आदि।
  - भारत में प्रवासन सर्वेक्षण (2020-21) से ज्ञात होता है कि लगभग 22% आंतरिक प्रवासी आर्थिक कारणों से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से क्रमशः महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल चले गए।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक सुविधाएँ:** शहरों में सांस्कृतिक, मनोरंजक और सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से समग्र जीवन अनुभव में वृद्धि होती है, जिससे शहरी क्षेत्र अधिक आकर्षक बनते हैं।

निष्कर्ष: प्रवासन में प्रभाव का क्षेत्र उन भौगोलिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, जो प्रवासियों को विशिष्ट गंतव्यों तक पहुँचाते हैं। इन क्षेत्रों को पहचानने से नीति-निर्माताओं को प्रवासन संबंधी चुनौतियों से निपटने और अधिक संतुलित क्षेत्रीय रणनीति बनाने में सहायता मिलती है।

प्रश्न: जनसांख्यिकीय शीत (डेमोग्राफिक विंटर) की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइये। (150 शब्द, 10 अंक)
What is the concept of a 'demographic winter'? Is the world mooving towards such a situation? Elaborate.

उत्तर: "जनसांख्यिकीय शीत" शब्द से तात्पर्य जन्म दर में उल्लेखनीय कमी, साथ-ही-साथ वृद्ध होती आबादी और घटती हुई कामकाजी आयु वाली आबादी से है। यह प्रवृत्ति विभिन्न देशों में देखने को मिलती है।

जनसांख्यिकीय शीत के कारण

- **न्यून प्रजनन दर:** वर्ष 1960 से वर्ष 2021के बीच वैश्विक प्रजनन दर, प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से घटकर लगभग 2.3 हो गई है।
  - विभिन्न विकसित देशों की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे चली गई है।
  - जापान (1.26), दक्षिण कोरिया (0.78) और इटली (1.24) जैसे देशों में प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है।
- **वृद्ध होती जनसंख्या:** यह वर्ष 2020 तक वैश्विक जनसंख्या का लगभग 9% थी, जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की होगा, जिसका वर्ष 2050 तक लगभग 16% तक बढ़ने का अनुमान है।
  - यूरोप में 20% से अधिक जनसंख्या पहले से ही 65 वर्ष से अधिक आयु की है।
- **परिवर्तित पारिवारिक संरचना:** सामाजिक बदलाव, जिसमें विवाह और बच्चे पैदा करने में विलंब तथा एकल-व्यक्ति परिवारों में वृद्धि शामिल है, जन्म दर में कमी लाने में योगदान करते हैं।
- **आर्थिक दबाव:** उच्च जीवन-यापन लागत, आवास की कीमतें और रोज़गार की असुरक्षा परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित करती हैं।

निष्कर्ष: विकसित क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय शीत के लिये आर्थिक विकास और सामाजिक प्रणालियों को बनाए रखने के लिये पारिवारिक समर्थन, कार्यबल भागीदारी तथा बढ़े हुए आव्रजन पर व्यापक नीतियों की आवश्यकता है।

प्रश्न: समान सामाजिक-आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर-जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर-धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased, to some extent, but this is less true of interreligious marriages. Discuss.

उत्तर: भारत में अंतर-जातीय विवाहों में कुछ वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक समानता वाली जातियों में, जबकि विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के कारण अंतर-धार्मिक विवाह अपेक्षाकृत दुर्लभ बने हुए हैं।

सामाजिक-आर्थिक समानता वाली जातियों में अंतर-जातीय विवाहों में वृद्धि के कारण

- **शहरीकरण और शिक्षा:** शहरी संस्कृति के उदय और बेहतर शिक्षा के कारण अंतर-जातीय विवाहों की सामाजिक स्वीकृति बढ़ गई है तथा युवा लोग जाति की अपेक्षा अनुकूलता को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  - वर्ष 2023 में, कर्नाटक में सभी अंतर-जातीय विवाहों में से 17.8% विवाह बंगलुरु में हुए।
- **कानूनी सहायता और सरकारी उपाय:**
  - हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता के क्षेत्र में आता है।
  - केंद्र सरकार की डॉ. अंबेडकर सामाजिक एकीकरण योजना और राजस्थान की अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएँ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देती हैं।

अंतर-धार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध

- **कम सामाजिक स्वीकृति:** भारत के लिये सामाजिक दृष्टिकोण अनुसंधान (SARI) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अंतर-जातीय विवाहों की तुलना में अंतर-धार्मिक विवाहों का अधिक विरोध होता है।
- **बलपूर्वक धर्म परिवर्तन:** उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हुए हैं, जो ऐसे विवाहों में कानूनी बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- **विशेष विवाह अधिनियम की कमियाँ:** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने SMA, 1954 के तहत एक अंतर-धार्मिक जोड़े को संरक्षण देने के विरुद्ध निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह को अवैध मानता है।

निष्कर्ष: भारत में अंतर-जातीय विवाह के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर-धार्मिक विवाहों को अभी भी कारकों की जटिलता के कारण बहुत-सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो अधिक स्वीकृति और सहिष्णुता की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्रश्न: लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिये। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्त्वपूर्ण है? (150 शब्द, 10 अंक)

Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. What is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?

उत्तर: सामाजिक न्याय और संधारणीय विकास की प्राप्ति के लिये लैंगिक मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022 में भारत की रैंकिंग 108 (198 देशों में से) है, अत: हमारे लिये आगे की राह बहुत लंबी है।

अंतर		
अवधारणा	**परिभाषा**	**केंद्र**
लैंगिक समानता	सभी व्यक्तियों के अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर समान हैं।	संसाधनों और उपचार तक समान पहुँच।
लैंगिक निष्पक्षता	विभिन्न लैंगिक आवश्यकताओं और चुनौतियों को स्वीकार करता है।	समान परिणामों के लिये निष्पक्ष व्यवहार और अनुरूप अवसर।
महिला सशक्तीकरण	विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास।	आत्मविश्वास और संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन पर नियंत्रण।

कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक आधार

- **समानता:** लिंग-विशिष्ट कार्यक्रम संसाधनों के वितरण और सामाजिक विकास में समानता सुनिश्चित करते हैं।
- **अनुकूलित समाधान:** लैंगिक भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की पारिकल्पना को सुनिश्चित करता है ताकि समाधान 'सभी के लिये एक जैसा' न हो, बल्कि विशिष्ट समूहों को ध्यान में रखकर हो।
- **न्यून अपव्यय/धन का केंद्रित वितरण:** लिंग-विशिष्ट कार्यक्रम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धन का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाए, जिनके लिये उसकी आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना:** विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार विशेष रूप से महिलाओं पर निवेश करने से समाज में अधिक योगदान मिला है।

निष्कर्ष: समानता, निष्पक्षता और महिला सशक्तीकरण की ये तीन अवधारणाएँ समावेशी कार्यक्रम की पारिकल्पना में आधारभूत हैं। कार्यक्रम की परिकल्पना में लिंग संबंधी चिंताओं को शामिल करने से न केवल निष्पक्षता सुनिश्चित होती है बल्कि पहलों की प्रभावशीलता और संधारणीयता में भी वृद्धि होती है।

प्रश्न: विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? (150 शब्द, 10 अंक)

In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive?

उत्तर: सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच बहु-हितधारक सहभागिता वाला एक सहयोगात्मक मॉडल भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिये सहयोगात्मक मॉडल

सरकारी और निजी क्षेत्र

- **वित्तपोषण, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार:** सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग वित्तपोषण और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिससे विकास प्रयासों में दक्षता बढ़ती है, उदाहरण के लिये, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (PPP), डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन।
- **नियामक निरीक्षण:** यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ कानूनी मानकों का अनुपालन करें और विभिन्न चुनौतियों का समाधान करके सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करें।

गैर-सरकारी संगठन और सरकार

- **ज़मीनी स्तर पर सहभागिता:** गैर-सरकारी संगठनों के साथ सरकार की सहभागिता ज़मीनी स्तर की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने को सुनिश्चित करती है, उदाहरण के लिये, भारत में स्वरोज़गार महिला संघ (SEWA) व्यावसायिक प्रशिक्षण और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है।
- **जागरूकता और वकालत:** एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपुल (DNP+) जैसे, गैर-सरकारी संगठन।

निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से सामाजिक विकास में योगदान करते हुए, इंफोसिस ने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिये अक्षय पात्र के साथ सहयोग किया है।

निष्कर्ष: सामूहिक प्रभाव के लिये सहयोग, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिये विविध मॉडलों का उपयोग करता है, साथ ही विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे यह देश के सामाजिक- आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हो जाता है।

प्रश्न: क्षेत्रीय असमानता क्या है? यह विविधता से किस प्रकार भिव है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है? (250 शब्द, 15 अंक)

What is regional disparity? How does it differ from diversity? How Serious is the issue of regional disparity in India?

उत्तर: क्षेत्रीय असमानता का तात्पर्य किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संसाधनों, विकास, बुनियादी ढाँचे और अवसरों के असमान वितरण से है। विविधता का तात्पर्य किसी आबादी या क्षेत्र में मौजूद सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं की विविधता से है।

क्षेत्रीय असमानता और विविधता के बीच मुख्य अंतर

पहलू	क्षेत्रीय असमानता	क्षेत्रीय विविधता
केंद्र	आर्थिक एवं विकासात्मक असमानताएँ (आय, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा)	सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक विविधताएँ
कारण	औपनिवेशिक विरासत, संसाधन वितरण, नीतिगत पूर्वाग्रह।	समुदायों का प्राकृतिक विकास, प्रवासन, व्यापार
प्रभाव	सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ (गरीबी, बेरोज़गारी, सेवाओं की कमी) उत्पन्न होती हैं।	रचनात्मकता, सामाजिक सामंजस्य और नवाचार को बढ़ाता है।

भारत में क्षेत्रीय असमानता की गंभीरता

- **आर्थिक असंतुलन:** भारत के पाँच सबसे विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब राज्यों की तुलना में लगभग 338% अधिक है।
- **शैक्षिक असमानता:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केरल की साक्षरता दर 96.2% है, जबकि बिहार की साक्षरता दर केवल 61.8% है।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एक लाख लोगों पर केवल 0.36 के अनुपात में अस्पताल हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर प्रति एक लाख लोगों पर अस्पताल 3.6 के अनुपात में है।
- **परिवहन और कनेक्टिविटी:** विकसित क्षेत्रों में बेहतर परिवहन नेटवर्क और कनेक्टिविटी होती है, जिससे व्यापार तथा गतिशीलता में सुविधा होती है।
- **डिजिटल डिवाइड:** एनएसएसओ के आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारतीय परिवारों में से केवल 24% के पास इंटरनेट तक पहुँच है, जबकि शहरों में यह पहुँच 66% है।
- **प्रवासन पर विषम प्रभाव:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र और दिल्ली अंतर्राज्यीय प्रवासियों को प्राप्त करने वाले शीर्ष राज्य थे, जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासियों के मुख्य स्रोत थे।

निष्कर्ष: सरकार ने भारत में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये कई पहल लागू की हैं, जिनमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी क्षेत्र आर्थिक प्रगति और अवसरों से लाभान्वित हो सकें, यह आवश्यक है कि संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिये इन असमानताओं को दूर किया जाए।

प्रश्न: समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाहियों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Despite Comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment.

उत्तर: सकारात्मक कार्रवाई से तात्पर्य नीतियों और प्रथाओं के एक समूह से है जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोज़गार तथा राजनीति समेत विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व एवं अवसरों में वृद्धि करना है।

भारत में सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीतियाँ

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** अनुच्छेद 330, 332 और 243D क्रमशः संसद, राज्य विधानसभाओं और पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटें आरक्षित करते हैं।
- **शिक्षा एवं रोज़गार के अवसर:** अनुच्छेद 15(4) और 16(4) वंचित समूहों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनुमति देते हैं।
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निशुल्क, अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे वंचित वर्गों के लिये बाधाएँ कम होती हैं।

समग्र विकास

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) कमज़ोर आबादी के लिये सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिये किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।
- कौशल भारत मिशन वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं की रोज़गार क्षमता को बढ़ाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **अभिजात वर्ग का प्रभुत्व:** आरक्षित श्रेणियों में धनी व्यक्तियों का प्रभुत्व वंचित वर्गों के लिये लाभ को सीमित करता है।
- **जाति आधारित राजनीति:** आरक्षण के राजनीतिकरण के प्रति संघर्ष एक प्रमुख कारण बन सकता है और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **भ्रष्टाचार:** कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार लाभ को इच्छित प्राप्तकर्त्ताओं से दूर ले जाते हैं।
- **जागरूकता:** आरक्षण लाभों के बारे में जानकारी का अभाव इसके लाभों का कम उपयोग करने की ओर ले जाता है।
- **सामाजिक कलंक:** निरंतर पूर्वाग्रह वंचित समुदायों के एकीकरण में बाधा डालते हैं।
- **प्रतिरोध:** आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण से योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रतिकूल प्रतिक्रिया और सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है।

संभावित सुधार

- आरक्षण मानदंडों का पालन न करने पर दंड के प्रावधान को लागू करना।
- आर्थिक रूप से वंचित लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये आय संबंधी मानदंड लागू करना।
- राज्य 15% कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।
- समावेशन और भेदभाव पर जागरूकता अभियान चलाना।
- समान प्रदायगी हेतु सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति पर विचार करना।
- सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीतियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांगों को शामिल करना।

निष्कर्ष: सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीति भारत में एक सुदृढ़ और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता समाज के अति वंचित वर्गों के वास्तविक उत्थान की क्षमता पर निर्भर करती है।

प्रश्न: वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल, युवा, अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? (250 शब्द, 15 अंक)

Globalization has increased urban migration by skilled, young, unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family?

उत्तर: वैश्वीकरण से तात्पर्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और वर्गों एवं सूचनाओं के आवागमन के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती निर्भरता से है। इन साझेदारियों ने आधुनिक दैनिक जीवन को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।

वैश्वीकरण और कुशल युवा महिलाओं का शहरी प्रवास

- **आर्थिक अवसर:** स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और आईटी जैसे उद्योग कुशल, अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, जो सतत् विकास लक्ष्य 5 और 8 का समर्थन करते हैं।
- **शैक्षिक आकांक्षाएँ:** वैश्विक संपर्क और शिक्षा तक पहुँच छोटे शहरों की महिलाओं को शहरी अवसरों का लाभ उठाने, विश्वविद्यालय में नामांकन बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करने के लिये सशक्त बनाती है।
- **सामाजिक गतिशीलता:** प्रवासन, युवा महिलाओं को सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने और अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाता है, जो सतत् विकास लक्ष्य 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के साथ संरेखित है।

व्यक्तिगत स्वतंत्राता और परिवार के साथ संबंधों पर प्रभाव

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** शहरी आईटी और बीपीओ जैसी नौकरियाँ महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने का मौका मिलता है। हालाँकि शहरी परिवेश में उन्हें उत्पीड़न और हिंसा का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि समर्थन प्रणाली अपर्याप्त होती है।
  - महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती अपराध दर (NCRB डाटा 2014-2022) सशक्तीकरण के साथ-साथ बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देती है।
- **पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं पर दबाव:** प्रवासन, परिवारों को संयुक्त से एकल संरचनाओं में हस्तांतरित करता है, जिससे महिलाओं को साथी के चयन और विवाह के समय में अधिक स्वायत्तता मिलती है, जो अक्सर पारंपरिक पारिवारिक अपेक्षाओं के साथ मतभेद उत्पन्न करता है।

- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** महिलाएँ शहरी जीवन शैली और पारंपरिक मूल्यों के बीच तालमेल बिठाती हैं, शहरी कार्यस्थलों में सफलता के माध्यम से लैंगिक भूमिकाओं को पुन: परिभाषित करती हैं। ये व्यक्तिगत आकांक्षाओं को वित्तीय ज़िम्मेदारियों के साथ संतुलित करती हैं, जिससे परस्पर निर्भर पारिवारिक गतिशीलता का निर्माण होता है।

निष्कर्ष: आर्थिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिये शहरी प्रवास आवश्यक है। हालाँकि महिलाओं को इन अवसरों से पूर्ण रूप से लाभ मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिये नकारात्मक प्रभावों को संबोधित किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न: इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। (250 शब्द, 15 अंक)

Critically analyse the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities.

उत्तर: भारत की सांस्कृतिक विविधता, जिसमें विभिन्न भाषाएँ, धर्म और परंपराएँ सामाजिक-आर्थिक कारकों से जुड़ी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ समुदायों को आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति में लगातार अलाभ का सामना करना पड़ रहा है।

सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच सहसंबंध

- **ऐतिहासिक स्तरीकरण:** जाति व्यवस्था ने दलितों और आदिवासियों को व्यवस्थित रूप से सीमांतता पर धकेल दिया है, उन्हें शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक गतिशीलता से वंचित रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) में अन्य की तुलना में गरीबी दर काफी अधिक है। इसी तरह, सच्चर समिति (वर्ष 2006) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुसलमान शैक्षिक और आर्थिक अभाव से पीड़ित हैं, उनकी साक्षरता दर कम है और सरकारी नौकरियों तक उनकी पहुँच भी कम है।
- **क्षेत्रीय एवं जातीय विषमताएँ:** मध्य भारत में जनजातीय समुदाय और पूर्वोत्तर में जातीय समूह खनन, बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण अल्पविकास और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, नर्मदा बाँध के कारण अधिक पैमाने पर विस्थापन ने आदिवासी आबादी को असंगत रूप से प्रभावित किया।
- **भाषाई सीमांतता:** अ-हिंदी भाषी राज्य, विशेषकर दक्षिण के राज्य, प्राय: केंद्र सरकार के हिंदी पर ध्यान केंद्रित करने पर चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि इससे संसाधनों के वितरण में असमानता पैदा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा होती है।
- **लैंगिक और अंत:विषयकता:** दलित महिलाओं की तरह सीमांत स्थिति पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें जाति और लैंगिक-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

विपक्ष में तर्क

- **आर्थिक संरचनाएँ:** वैश्वीकरण, नवउदारवादी नीतियाँ और कृषि संकट जैसी आर्थिक शक्तियाँ भी गरीबी की स्थिति में वृद्धि करती हैं, जिससे सीमांतता की स्थिति पर रहने वाले और गैर-सीमांतता की स्थिति में रहने वाले दोनों समुदाय प्रभावित होते हैं।
- **नीति और शासन विफलताएँ:** मनरेगा जैसी योजनाओं का खराब क्रियान्वयन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी के कारण वंचित समूह और अधिक सीमांतता की स्थिति में पहुँच गए हैं, जिससे यह बात उजागर हुई है कि सांस्कृतिक पहचान से परे शासन एक प्रमुख कारक है।

निष्कर्ष: सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक -आर्थिक सीमांतता पर होने के बीच एक महत्त्वपूर्ण संबंध है, लेकिन व्यापक आर्थिक कारक और शासन संबंधी मुद्दे भी इसमें योगदान करते हैं। भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिये सांस्कृतिक और संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है।

2023

प्रश्न: क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? (150 शब्द, 10 अंक)

Do you think marriage as a sacrament is loosing its value in Modern India?

उत्तर : विवाह कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक समझौता है, जिसका उद्देश्य परिवार जैसी संस्था एवं सामाजिक मानदंडों का पालन करना है। भारतीय संस्कृति तथा धर्म में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हालाँकि आधुनिक भारत में एक संस्कार के रूप में इसका महत्त्व बढ़ रहा है।

वैवाहिक मूल्यों में	
कमी लाने वाले तर्क	**समर्थन करने वाले तर्क**
❑ **बदलते मानदंड :** वर्तमान समाज पारंपरिक विवाह पर कमज़ोर देते हुए विविध संबंधों को स्वीकार करता है।	❑ **सामाजिक स्थिरता :** विवाह पारंपरिक जीवन के लिये एक संरचित ढाँचा प्रदान कर सामाजिक स्थिरता के लिये आधार बनाता है।
❑ आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 'कभी विवाह न करने वाली' युवा आबादी में 26.1% की वृद्धि हुई है।	❑ **कानूनी सुरक्षा :** यह विरासत, संपत्ति तथा चिकित्सा संबंधी निर्णयों में महत्त्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
❑ **व्यक्तिगत स्वायत्तता :** व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधों में स्वायत्त विकल्पों की ओर ले जाती है।	❑ **धार्मिक महत्त्व :** विवाह को पवित्र, अपने धर्म से जुड़ी, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाली व्यवस्था मानते हैं।

- ❑ लिव-इन संबंध व्यवस्थित विवाह को चुनौती देते हैं और एकल जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं।
- ❑ **तलाक की घटनाओं में वृद्धि:** तलाक की बढ़ती घटनाएँ विवाह की पवित्रता और स्थायित्व में गिरावट का संकेत हैं।
- ❑ आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण का आह्वान पारंपरिक विवाह से परे विकल्पों का विस्तार करता है।
- ❑ पितृसत्ता को चुनौती, जिससे विवाह के मूल्य में कमी आती है।
- ❑ **मनोवैज्ञानिक सुरक्षा:** विवाह अलगाव को कम करने के साथ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- ❑ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण।

संक्षेप में विवाह आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है, यह समकालीन भारत में उभरती सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।

प्रश्न: भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Explain why suicide among young women is increasing in Indian society.

उत्तर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में हुई कुल आत्महत्याओं में 27% महिलाएँ थीं, जिनमें गृहिणियाँ, छात्राएँ और दिहाड़ी मज़दूर सबसे अधिक प्रभावित थे। यह एक गंभीर सामाजिक चिंता को रेखांकित करता है।

भारत में आत्महत्या की समस्या के कारक

आर्थिक आयाम
- ❑ पर्याप्त आर्थिक अवसरों की कमी, आर्थिक अति-निर्भरता, असहायता एवं निराशा का कारण बनती है।

शीघ्र विवाह के वैवाहिक मुद्दे
- ❑ कम उम्र में जबरन विवाह, दहेज़ की मांग, वैवाहिक व पारिवारिक झगड़े व वैवाहिक बलात्कार
- ❑ भावनात्मक शोषण एवं मानसिक प्रताड़ना।
- ❑ निराशा व अलगाव का जन्म।

यौन उत्पीड़न व हिंसा
- ❑ यौन उत्पीड़न व हिंसा के कारण आघात तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं।

मीडिया प्रभाव और अवास्तविक उम्मीदें
- ❑ सुंदरता और सफलता की आदर्श ढाँचा।
- ❑ ऑनलाईन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग।
- ❑ आत्मसम्मान में कमी, शरीर के विषय में असंतोष की भावना।

संभावित समाधान

- स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लचीलापन और तनाव प्रबंधन कौशल शामिल करना।
- मोबाइल क्लीनिक, टेलीमेडिसिन और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- AI-पावर्ड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म विकसित करना, जो गृहणियों के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों को निजीकृत करें।
- सोशल मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जो युवा महिलाओं को आलोचनात्मक चिंतन कौशल सिखाते हैं।

प्रश्न: वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएँ भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? (250 शब्द, 15 अंक)
What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society?

उत्तर: वैदिक काल (लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक) का भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान है। इसने भारतीय समाज और धर्म को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।

विशेषताएँ
- ❑ दार्शनिक विचारधारा (उपनिषद्) स्वयं (आत्मा) पर सत्य (ब्रह्म) और आत्मज्ञान (मोक्ष) के मार्ग जैसी अवधारणा।
- ❑ संसार और कर्म की अवधारणाएँ, जन्म-मृत्यु पुनर्जन्म का चक्र कारण-प्रभाव एवं आध्यात्मिक उन्नति।
- ❑ धर्म की अवधारणा। जीवन के विभिन्न चरणों में उत्तरदायित्व हेतु नैतिक सैद्धांतिक अवधारणा की विद्यमानता।
- ❑ अनुष्ठान एवं बलि प्रथा (यज्ञ), देवताओं को प्रसन्न करने के लिये मंत्रों के साथ अनुष्ठान।
- ❑ वर्णव्यवस्था कौशल और योग्यता के आधार पर समाज का वर्गीकरण, आगे चलकर जाति व्यवस्था का आधार बना।

आधुनिक भारत में वैदिक परंपरा के तत्त्व

- **अनुष्ठान और त्योहार:** दशहरा, दिवाली जैसे वैदिक अनुष्ठान भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का हिस्सा।
- **दर्शन:** वैदिक दर्शन वेदांत और योग जैसी विचारधाराओं का प्रभाव-'वसुधैव कुटुम्बकम्' (महाउपनिषद्), 'सत्यमेव जयते' (मुंडकोपनिषद्)।
- **प्राकृतिक तत्त्व:** प्राकृतिक तत्त्वों पीपल, नीम, आँवला जैसे वृक्षों के साथ गंगा जैसी पवित्र नदियों के प्रति सम्मान संस्कृति में अंतर्निहित है।
- **आयुर्वेद और चिकित्सा:** भारत में प्रचलित आयुर्वेद वैदिक ज्ञान पर आधारित एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है।
- **नृत्य और संगीत के रूप में:** भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य तथा विभिन्न संगीत गायन में वैदिक ग्रंथों से संबंधित विवरण को दर्शाया जाता है।

- कृषि के साथ ग्रामीण समाज की ऐसी पारंपरिक प्रथाओं में परिवर्तन हुआ है, जो वैदिक समाज का अभिन्न अंग हुआ करती थीं। वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों और विचारों के समन्वय से महानगरीय जीवन-शैली के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को प्राथमिकता मिली है।

प्राचीन परंपराओं और समकालीन प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए भारत की अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। यह सांस्कृतिक समृद्धि के साथ विकसित होने तथा परिवर्तन को अपनाने की भारत की क्षमता का परिचायक है।

प्रश्न: बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children.

उत्तर : तीव्र गति से होने वाले डिजिटलीकरण के कारण बच्चों को दुलारने की तुलना में मोबाइल फोन के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। देखभाल के प्रतिरूप में इस बदलाव से बच्चों के समाजीकरण में बदलाव आ रहा है, जिससे विभिन्न जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

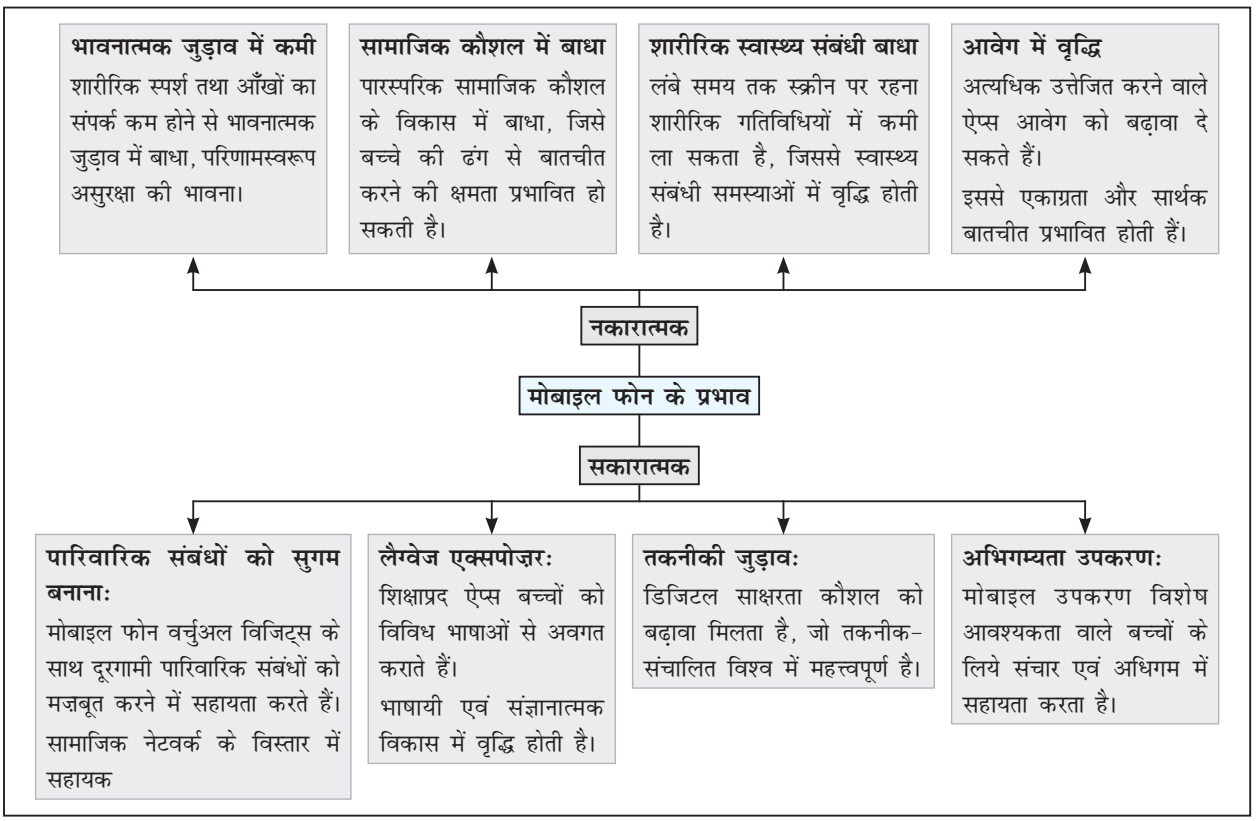

बच्चे को दुलारने के साथ मोबाइल उपकरण के संतुलित प्रयोग से न केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है, बल्कि बच्चे सामाजिक कौशल के साथ तकनीकी अधिगम में पारंगत होते हैं।

प्रश्न: सल्तनत काल के दौरान किये गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था? (250 शब्द, 15 अंक)

What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence the Indian society?

उत्तर : दिल्ली सल्तनत (1206-1526) का शासनकाल लगभग 320 वर्षों तक रहा। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर प्रभुत्व होने के साथ यह अपने चरम पर थी। इस दौरान हुए कई महत्त्वपूर्ण तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को नया आकार दिया।

सल्तनत काल के दौरान किये गए प्रमुख तकनीकी बदलाव

- **व्यापार और वाणिज्य:** इस दौरान चांदी तथा ताँबे के मानकीकृत सिक्के ढाले गए, जिन्हें क्रमशः टंका और जीतल कहा जाता था। इन सिक्कों ने व्यापार को सुगम बनाया।
- **सैन्य प्रौद्योगिकी:** तुगलकाबाद किला जैसे किलेबंद शहरों तथा किलों ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा दिया। ये बदलाव सैन्य क्षमता में वास्तुशिल्प नवाचारों को प्रदर्शित करते हैं।
- **कृषि और सिंचाई:** हौज-ए-शम्सी जैसी परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों तथा पर्शियन व्हील जैसे जल को लिफ्ट करने वाले उपकरण से फसल उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिली।
- **वास्तुकला और संरचनात्मक निर्माण:** भारतीय तथा इस्लामी वास्तुकला शैलियों का सम्मिश्रण होने से इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ, उदाहरण– कुतुबमीनार।

तकनीकी बदलावों का भारतीय समाज पर प्रभाव

- **कृषि विस्तार:** बेहतर सिंचाई प्रणालियों के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार होने से ग्रामीण समुदायों की आर्थिक उन्नति हुई।
- **सांस्कृतिक सम्मिश्रण:** भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली तथा कलात्मक रूपों के मिश्रण से सांस्कृतिक सम्मिश्रण को बढ़ावा मिला।
- **मुद्राशास्त्रीय प्रणाली:** मानकीकृत सिक्का प्रणाली से एकीकृत मुद्रा प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिली, थी। जिससे व्यापार-वाणिज्य को सुगम बनाया गया।
- **सैन्य बुनियादी ढाँचे की विरासत:** इस दौरान सैन्य क्षेत्र में हुए संरचनात्मक नवाचारों की सहायता से रणनीतिक योजना बनाने के साथ सैन्य निपुणता हासिल करने में सहायता मिली।
- **बौद्धिक विकास:** विभिन्न ग्रंथों के संग्रह से, ज्ञान का प्रसार होने से समाज के बौद्धिक विकास में उन्नति हुई।
- **खुफिया नेटवर्क:** गुप्त खुफिया नेटवर्क की स्थापना से आगे चलकर जासूसी तथा सूचना एकत्र करने की प्रणाली को आधार मिला।

सल्तनत काल के तकनीकी बदलावों ने भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा रक्षा क्षेत्र को नया आयाम दिया। इससे नवाचार एवं अनुकूलन की एक स्थायी विरासत स्थापित होने से समृद्धि एवं अनुकूलन को बढ़ावा देने में सहायता मिली।

प्रश्न: भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदमताल करने में विफल क्यों हुआ? (250 शब्द, 15 अंक)
Why did human development fail to keep pace with economic development in India?

उत्तर: भारत में आर्थिक विकास एवं मानव विकास के बीच असमानता का पता कई जटिल और परस्पर संबंधी कारकों से लगाया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं–

आय समानता: भारत में लगातार आय असमानता धनाढ्य लोगों को असंगत रूप से लाभ पहुँचाती है, जिससे आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के लिये स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक समान पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।

कारक

- **शिक्षा संबंधी असमानताएँ:** आर्थिक विकास के बावजूद भारत को उच्च ड्रॉपआउट दर, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और खराब गुणवत्ता, मानव पूंजी विकास तथा कार्यबल भागीदारी को सीमित करने जैसी शिक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ:** असमान स्वास्थ्य देखभाल पहुँच विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बीमारी के बोझ और बाल मृत्युदर में योगदान करती है। मानव विकास संकेतकों को प्रभावित करती है, जो स्वच्छ पानी तथा स्वच्छता तक सीमित पहुँच से जुड़ी है।
- **लैंगिक असमानता:** भारत में लैंगिक असमानता महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं आर्थिक अवसरों तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है, जबकि लिंग आधारित हिंसा व भेदभाव उनके विकास में और बाधा डालते हैं।
- **सामाजिक बहिष्कार:** भारत की जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समुदायों को हाशिये पर रखते हैं, जो उनके अवसरों को सीमित तथा मानव विकास परिणामों को प्रभावित करते हैं।
- **अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा संजाल:** भारत के कल्याण कार्यक्रम अक्सर कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने, गरीबी और कुपोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** आर्थिक विकास के लिये सतत् विकास और पर्यावरणीय क्षरण के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की क्षीणता से स्वास्थ्य को खतरा होता है।
- **शासन चुनौतियाँ:** कमज़ोर शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अक्षम नौकरशाही नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

प्रमुख कारक

- **सरकारी नीतियाँ:** न्यूनतम समर्थन मूल्य, e-NAM, सब्सिडीयुक्त इनपुट, बेहतर खरीद प्रणाली से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया।
- **अनुसंधान और विकास:** निवेश से बेहतर प्रौद्योगिकियों एवं तरीकों को अपनाने में सहायता मिली।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि में निजी भागीदारी से बेहतर पहुँच, बुनियादी ढाँचा का विकास, साथ ही ई-चौपाल, टाटा किसान केंद्र आदि को बढ़ावा मिलता है।
- **वैश्विक मांग:** लगातार बढ़ते वैश्विक बाज़ारों में अधिक वैश्विक मांग ने भी भारतीय कृषि की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।
- **हरित क्रांति:** 1960 के दशक में शुरू कृषि उत्पादन, बेहतर सिंचाई बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा।
- **फसलों का विविधीकरण:** सरकार का ध्यान भारत की खाद्य आपूर्ति में विविधता लाने पर है, जैसे- प्रौद्योगिकी मिशन आदि।
- **व्यापारिक उदारीकरण:** 1990 के दशक में तथा उसके उपरांत व्यापार के उदारीकरण ने भी बेहतर निर्यात में योगदान दिया।

हालाँकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है तथा मानव विकास

भी आर्थिक विकास की ओर गतिशील है, उदाहरण के लिये वर्ष 1990 में भारत का HDI स्कोर 0.429 था, जो वर्ष 2021 तक बढ़कर 0.633 हो गया।

प्रश्न: क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और/या हाशिये पर ले जाता है?

(250 शब्द, 15 अंक)

Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?

उत्तर: भारत में शहरीकरण एक अपरिहार्य समस्या बन गई है। एक विकसित शहर के निर्माण में अनियोजित विकास शामिल है, जो केवल अमीर तथा गरीब के बीच शहरों में प्रचलित द्वंद्व को बढ़ावा देता है। हालाँकि, पृथक्करण तथा हाशियाकरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है।

शहरीकरण से गरीबों का पृथक्करण

- **सामाजिक पूर्वाग्रह:** इसके कारण गरीब लोग अक्सर शहरी केंद्रों के परिधीय क्षेत्रों में विस्थापित हो जाते हैं।
- **अपर्याप्त आवास नीतियाँ:** अनियोजित शहरीकरण तथा अपर्याप्त आवास नीतियाँ, मलिन बस्तियों की सघनता का कारण हो सकती है।
- **रोज़गार के अवसर:** शहर के विशिष्ट क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का संकेंद्रण होने से गरीबों को नौकरी की निकटता के कारण निम्न समुदायों में स्थानांतरित होने के लिये मजबूर कर सकता है।
- **आय असमानता:** शहरीकरण के परिणामस्वरूप प्राय: असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है।
  गरीबों के लिये वहनीय आवास विकल्प सीमित होते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर पृथक्करण को बढ़ावा मिलता है।

शहरीकरण के कारण पृथक्करण/हाशियाकरण को बढ़ावा

- **सामाजिक सेवाओं का अभाव:** शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं का अपर्याप्त प्रावधान गरीबों को हाशिये पर धकेल देता है।
- **भूमि विस्थापन:** शहरी विकास परियोजनाएँ प्राय: शहर गरीब मुआवज़े या वैकल्पिक आवास के बिना विस्थापित कर देती हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ:** मलिन बस्तियों में भीड़भाड़ और अस्वच्छता स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच समस्या को बढ़ाती है।
- **सामाजिक भेदभाव:** शहरी गरीबों को उनकी आर्थिक स्थिति एवं पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

गरीबों के हाशियाकरण के समाधान हेतु सरकारी पहलें

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन

हालाँकि विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सफलता बेहतर **नीति कार्यान्वयन, सामुदायिक भागीदारी** और शहरी गरीबों के **अधिकारों** के लिये निरंतर **समर्थन** पर निर्भर करेगी।

प्रश्न: संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism.

उत्तर: भारत में उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा, 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की विशेषता ने वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में, विशेषरूप से जातीय पहचान तथा सांप्रदायिकता पर इसके प्रभाव के संबंध में एक जटिल एवं बहुआयामी घटना को जन्म दिया है।

भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषताएँ

जाति जन्मजात है

भारत में जाति व्यवस्था जटिल और गतिहीन है। यह जाति ही है जो जीवन में किसी की स्थिति निर्धारित करती है।

पदानुक्रमिक सामाजिक संरचना

समाज की जाति संरचना श्रेष्ठता और हीनता एक साथ रखी गई पदानुक्रम या अधीनता की प्रणाली है।

जातीय अस्मिता के गतिशील पहलू

अंतरजातीय विवाह

हाल के दशकों में आम हो गए हैं।

शहरीकरण और प्रवासन

शिक्षा का अधिकार तथा सकारात्मक कार्यवाही जैसे कानूनों ने बेहतर शैक्षिक स्तर सुनिश्चित किया है, जैसा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्तियों द्वारा उदाहरण दिया गया है, जो अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि से आने के बावजूद देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे।

शिक्षा और रोज़गार

शहरीकरण और शहरों की ओर प्रवासन ने जातिगत अस्मिताओं को पीछे छोड़कर विषम एवं महानगरीय वातावरण का निर्माण किया है।

जातीय अस्मिता के गतिशील पहलू

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	पारंपरिक व्यवसाय	जाति संघ
भारत में जातीय अस्मिता की ऐतिहासिक जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं और जनता की सामूहिक चेतना में बनी हुई हैं।	कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जाति पर आधारित लोग अभी भी जाति से संगठन अभी भी एक जुड़े वंशानुगत व्यवसाय दबाव समूह के रूप का पालन करना जारी में कार्य करते हैं। रखे हुए हैं।	

जातीय पहचान पर प्रभाव

सकारात्मक पक्ष

- **आर्थिक सशक्तिकरण:** आर्थिक अवसरों तक पहुँच में वृद्धि ने विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने की अनुमति दी है।
- **सांस्कृतिक विनियमन:** उदारवाद के बाद की अर्थव्यवस्था ने व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी में वृद्धि के कारण अधिक सांस्कृतिक विनियमन की सुविधा प्रदान की है, जिससे अंतर-सांस्कृतिक समझ बढ़ी है।
- **उद्यमिता और क्षेत्रीय पहचान:** आर्थिक उदारीकरण ने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है, जिससे विशिष्ट जातीय पहचान वाले क्षेत्रों को अपने अद्वितीय उत्पादों एवं परंपराओं को बढ़ावा देने की अनुमति मिली है।

नकारात्मक पक्ष

- **आर्थिक असमानताएँ:** जातीय समूहों में आर्थिक विकास एक समान नहीं है, जिससे आय में असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है और कुछ समुदायों को हाशिये पर धकेल दिया गया है।
- **सांस्कृतिक समरूपीकरण:** उदारीकरण के माध्यम से वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति का प्रचार पारंपरिक जातीय रीति-रिवाजों और पहचान को नष्ट कर सकता है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** आर्थिक उदारीकरण कुछ क्षेत्रों में धन और विकास को केंद्रित कर सकता है, जिससे अन्य लोग आर्थिक रूप से वंचित रह जाएंगे।

सांप्रदायिकता का प्रभाव

सकारात्मक पक्ष

- **शहरीकरण और प्रवासन:** सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और सांप्रदायिकता के प्रभाव को कम करना।
- **शिक्षा और जागरूकता:** बेहतर शिक्षा एवं सूचना तक पहुँच एक अधिक सूचित तथा सहिष्णु समाज को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सांप्रदायिकता कम हो सकती है।

नकारात्मक पक्ष

- **मीडिया और प्रौद्योगिकी:** सांप्रदायिक तनाव को कम करने में
- ग्रामीण शहरी विभाजन
- उपभोक्तावाद

इसलिये जहाँ एक ओर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था ने देश को विकास और समृद्धि के युग में प्रवेश कराया है, वहीं दूसरी ओर जातीय पहचान तथा सांप्रदायिकता पर इसके प्रभाव ने नई खामियाँ उत्पन्न कर दी हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित भाईचारे के मूल्य का पालन करते हुए इससे निपटने की आवश्यकता है।

2022

प्रश्न: पारिवारिक संबंधों पर 'वर्क फ्रॉम होम' के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। (150 शब्द, 10 अंक)
Explore and evaluate the impact of 'Work From Home' on family relationships.

व्याख्या : भारत में कोविड-19 के प्रकोप की बढ़ती लहर ने देश में कॉर्पोरेट जगत को व्यापक रूप से 'वर्क फ्रॉम होम' करने के लिये मजबूर किया। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये देश में आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने और बनाए रखने के लिये 'वर्क फ्रॉम होम' एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था।

वर्क फ्रॉम होम का पारिवारिक संबंधों पर असर

- **मज़बूत पारिवारिक बंधन:** एक व्यक्ति परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करता है, जो पारिवारिक बंधन को मज़बूती प्रदान करता है।
- **बच्चों पर उचित ध्यान:** माता-पिता को अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने का अवसर प्रदान करता है, जो उनके संबंधों को मज़बूत करता है।
- **वृद्ध लोगों की बेहतर देखभाल करना:** युवा पीढ़ी अपने बूढ़े माता-पिता की बेहतर देखभाल कर सकती है।
- **घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार:** जब आप घर से काम कर रहे होते हैं तो कार्य का तनाव और परिवार एक ही स्थल पर होता है, जिससे पत्नी और बच्चों पर कार्य संबंधी कुंठा निकालने की संभावना होती है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में लगभग 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई।
- **तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध:** पति-पत्नी लंबे समय तक बिना घर से बाहर निकले, साथ समय बिताते हैं तो उनके बीच विवादों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे वैवाहिक संबंध बिगड़ जाते हैं।
- **परिवार में विवाद:** एक ही कार्य स्थल होने से पारिवारिक विवाद बढ़ जाते हैं।
- **निराशा की ओर जाना:** घर से काम करने से कुछ लोग आधारभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण निराश हो जाते हैं।

- **घर के कामों से परेशानी:** पति-पत्नी दोनों के कार्य का एक ही समय होने के कारण यह नियमित घरेलू कार्यों की लापरवाही का कारण बनता है, जिससे दोनों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

निष्कर्षत: कुल मिलाकर पारिवारिक रिश्तों पर 'वर्क फ्रॉम होम' का प्रभाव मिला-जुला है, जबकि इसने काम और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने के मामले में एक साथ अधिक समय और लचीलेपन की अनुमति दी है, यह सीमा-निर्धारण और सामाजिक समर्थन की कमी से संबंधित चुनौतियों को भी लाया है।

प्रश्न: क्या सहिष्णुता सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्त्व हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। (150 शब्द, 10 अंक)

Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer.

उत्तर : धर्मनिरपेक्षता धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने का सिद्धांत है, लेकिन दुनिया में विभिन्न व्याख्याओं ने 'धर्मनिरपेक्षता' के कई मॉडल तैयार किये।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय रूप अपने अतीत के अनुभवों, ऐतिहासिक आवश्यकताओं और मूल्य प्रणाली से उभरा है। इसका भारतीय दर्शन 'सर्वधर्म समभाव' से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले साधनों का साध्य समान है। हालाँकि, साधन भिन्न हो सकते हैं।

- पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता, धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णत: संबंध-विच्छेद पर आधारित है, अर्थात् चर्च और राज्य का अलगाव होना।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप के मुख्य तत्त्व

सहिष्णुता

- संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25-28 धर्म पालन का अधिकार।
- प्रत्येक संप्रदाय एक-दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखते हैं।
- 'वसुधैव कुटुम्बकम्' महा उपनिषद् में एक वाक्यांश, जिसका अर्थ है– समस्त संसार एक परिवार है।
- जैन, बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुए और शांति एवं सहिष्णुता का संदेश दिया।
- बौद्ध शासक अशोक और मुगल शासक अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीतियाँ विशेषरूप से प्रसिद्ध, जैसे– धम्म, दीन-ए-इलाही।
- सिख गुरु नानक देव ने अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे एवं सहनशीलता का संदेश दिया।

सम्मिलन या आत्मसात्: आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समूह समाज की प्रमुख संस्कृति में समाहित हो जाते हैं।

- भारत में सभी प्रमुख धर्मों के लोग शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व रखते हैं। बौद्ध, जैन, सिक्ख धर्म के साथ बाहर से आया इस्लाम धर्म भी अपनी विशिष्ट पहचान खोए बिना शेष समाज के साथ सह-अस्तित्व में था।
- जब कई धार्मिक समुदाय एक साथ रहते हैं, समय के साथ वे एक-दूसरे की कला, वास्तुकला, संस्कृति और धर्म के तत्त्वों को शामिल करना शुरू करते हैं, जैसे– इंडो-इस्लामिक शैली।

बहुलवाद

- भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
- एक बहुधार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विविध राष्ट्र होने के नाते, भारत राज्य से धर्म को अलग करने की बजाय धार्मिक समतावाद (सभी धर्मों के लिये समानता) के आधार पर धार्मिक सदभाव सुनिश्चित कर सकता है। यह गांधीजी के सर्वधर्म समभाव में स्पष्ट है।

इस प्रकार भारत ने अपने स्वयं के धर्मनिरपेक्षता के रूप को अपनाया, जो पश्चिम से अलग था। कुछ अपवादों को छोड़कर शासकों ने लोगों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि धार्मिक उद्देश्यों के लिये वित्तीय सहायता और भूमि की पेशकश की। इसलिये धर्मनिरपेक्षता कई वर्षों से भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा रही है।

सकारात्मक पक्ष

- चूँकि, कमज़ोर वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सभी संबद्ध आयोगों की कार्य-सूची में वरीयता क्रम में होती है, अत: मानवाधिकार आयोग इस कार्य को सहजता से पूरा कर सकता है।
- अलग-अलग आयोगों के मध्य कार्य की अतिव्यापकता से समस्या का निपटारा किया जा सकता है।
- वृद्धजनों, नि:शक्तजनों या फिर तृतीय लिंगी समुदायों के समुचित विकास के लिये संभावित तौर पर पृथक् आयोगों की स्थापना की आवश्यकता नहीं रहेगी।

नकारात्मक पक्ष

- भारत में कार्यरत् सभी आयोग संबद्ध वर्गों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा में विशेषरूप से ध्यान देते हैं। अत: इन सभी से जुड़े मामलों पर केवल मानवाधिकार आयोग में विचार करना इनके हितों की पूर्ति में व्यवधान ला सकता है।
- सभी कमज़ोर वर्गों की समस्याएँ, उनके उपचार और समाज में इन वर्गों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। अत: मानवाधिकार आयोग के लिये इन सब पर एक साथ नियंत्रण पाना एक जटिल कार्य हो सकता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सभी महत्त्वपूर्ण आयोगों, जैसे– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। अत: ये सभी प्रमुख अपने-अपने आयोगों से जुड़े मानवाधिकार मुद्दों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाते रहते हैं।

इस प्रकार एक व्यापक मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत सभी आयोगों का विलय करने से बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि सभी संबंद्ध आयोग अपने कार्यक्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित करें, ताकि अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्या में कमी लाई जा सके। साथ-साथ एक विकल्प है कि वृद्धजनों, नि:शक्तों और तृतीय लिंगी समुदायों के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय मानव अधिकार की कार्यपरिधि में (बिना हितों के साथ समझौता किये) ही लाया जाए।

प्रश्न: उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यवर्ग के उभार से टीयर-2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है? (150 शब्द, 10 अंक)

How is the growth of Tier 2 Cities related to the rise of a new middle class with an emphasis on the culture of consumption?

उत्तर: सरकार के अनुसार 50,000 और 1,00,000 के बीच की आबादी वाले शहरों को भारत में टियर-2 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्यवर्ग का दर्जा ऐसे व्यक्तियों और परिवारों को दिया जाता है, जो आमतौर पर एक सामाजिक-आर्थिक पदानुक्रम के भीतर श्रमिक वर्ग और उच्चवर्ग के बीच आते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में मध्यवर्ग के व्यक्तियों के पास कामगार वर्ग की तुलना में कॉलेज की डिग्री का अनुपात अधिक होता है, उनके पास उपभोग के लिये अधिक आय उपलब्ध होती है और उनके पास अधिक संपत्ति भी हो सकती है। मध्यमवर्ग के लोग अक्सर पेशेवर, प्रबंधक और सिविल सेवकों के रूप में कार्यरत होते हैं।

नए मध्यवर्ग और टियर-2 शहरों के बीच संबंध

- **उद्यमिता में वृद्धि:** बढ़ती उद्यमी गतिविधि के परिणामस्वरूप एलपीजी युग के दौरान टियर-2 शहरों में सफेदपोश रोज़गार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में अत्यंत वृद्धि हुई है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक है तथा टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में 64% से अधिक रोज़गार के लिये यह ज़िम्मेदार है जो वैश्वीकरण का परिणाम है।

  बढ़ी हुई मज़दूरी, डिजिटल क्रांति और वैश्वीकरण के तहत पश्चिमीकरण ने लोकप्रिय संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान दिया और इस वर्ग के उपभोग के तरीके को बदल दिया।
- **सरकारी प्रयास:** मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, जैम ट्रिनिटी, उड़ान आदि जैसी योजनाओं ने खर्च करने योग्य आय में वृद्धि करके उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

टियर-2 भारतीय शहरों के उभरने के पीछे के कारण प्रमुख वास्तविक वृद्धि दर के रूप में उभरे

- **बड़ी फर्मों के लिये आकर्षक विकल्प:** जयपुर, पटना, इंदौर और सूरत जैसे टियर-2 शहरों ने 40% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर का अनुभव किया है।

  वर्ष 2030 तक 80% परिवारों की प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई है। भारत में उपभोक्ता का व्यवहार पूंजी के मूल्य से काफी प्रभावित होता है।
- **ई-कॉमर्स:** 15 मिलियन से अधिक पारंपरिक 'किराना' स्टोर या खुदरा बाज़ार का 88% भारत में मौजूद हैं। कई परिवार प्रत्येक दो से तीन दिनों में ताज़े उत्पादन का भंडारण करने आते हैं।

  टियर-2 शहर ग्रामीण स्थानों से संभावित कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं और उन्हें रोज़गार के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं।

  टियर-1 शहरों में रहने की मध्यम लागत बेहतर जीवन शैली के बाद से अधिक खपत को प्रोत्साहित करती है।

प्रश्न: भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिये? (150 शब्द, 10 अंक)

Given the diversities among tribal communities in India, in which specific contexts should they be considered as a single category?

उत्तर: भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा एक ही श्रेणी में रहने वाले या जंगल पर निर्भर समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया था, जिन्हें अनुसूचित जनजाति (एसटी) कहा गया।

भारत में जनजातियों में मेघालय की मातृसत्तात्मक खासी से लेकर राजस्थान तथा गुजरात की पितृसत्तात्मक जनजातियों की व्यापक विविधता पाई जाती है। यह विविधता गुजरात के अफ्रीकी मूल के सिद्दी और अंडमान तथा निकोबार की स्वदेशी जनजातियों, जैसे- प्रहरी आदि के आधार पर भी है।

अनुसूचित जनजातियों को एक श्रेणी में शामिल करने के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अलावा, कई सामाजिक-आर्थिक आधार हैं जो उन्हें एक ही श्रेणी में बाँधते हैं, जैसे–

- वे आमतौर पर भौगोलिक रूप से अलग-थलग होते हैं।
- वे टैटू, ताबीज़ और आभूषण जैसी समान धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं, और जादू-टोने में विश्वास करते हैं।
- आमतौर पर वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनमें प्रकृति पूजा बहुत आम है।
- वे अपनी आजीविका के लिये ज़्यादातर जंगल पर निर्भर हैं और एक संतुलित वातावरण को बनाए रखते हुए प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
- उनकी सामाजिक संरचना समतावादी है तथा जाति के स्तर पर कम स्तरीकृत है।
- वे जीवात्मवाद (एनिमिस्टिक) में विश्वास करते हैं।
- उनमें से अधिकांश प्रादेशिक समूह हैं तथा वे अपनी जनजाति और संस्कृति के प्रति समर्पित हैं।
- उनमें से अधिकांश आदिम व्यवसायों जैसे कि स्थानांतरित खेती आदि का अभ्यास कर रहे हैं।
- उनके पास अधिकांश स्वदेशी राजनीतिक संगठन हैं, अर्थात् वैदिक काल की सभाओं और समितियों जैसी बुज़ुर्गों की परिषदों का अस्तित्व है।
- उनका समाज आमतौर पर आत्मनिर्भर होता है।

उनमें से अधिकांश मुख्यधारा के समाज से भिन्न हैं। डॉ. अंबेडकर ने उनकी विशिष्ट सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की भी

वकालत की थी और उन्हें एक अलग, एकल और विशिष्ट श्रेणी में शामिल करने की मांग की थी।

प्रश्न : भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर 'पंथ' की विशेषता की विवचेना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Analyse the salience of 'sect' in Indian society vis-a-vis caste, region and religion.

उत्तर : पंथ या संप्रदाय आस्था का एक छोटा समूह है जो या तो एक पारंपरिक धर्म का पालन करता है या एक अलग धर्म के रूप में इसके मूल सिद्धांत हैं।

- पंथ एक ही विश्वास या धर्म के उपसमूह हैं, जैसे- ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और अन्य।
- पंथ या संप्रदाय उन धार्मिक समूहों का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने खुद को एक स्थापित धर्म से अलग कर लिया है और अब अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं।
- दूसरी ओर एक पंथ एक सामाजिक समूह है जो जीवन में एक सामान्य रुचि या लक्ष्य प्राप्त करने के लिये असामान्य धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मान्यताओं का पालन करता है।

जाति की तुलना में 'पंथ' का महत्त्व

- पंथ अपने सदस्यों को भाईचारे, समानता और लक्ष्यों की एक सामान्य दृष्टि के लिये कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। पंथ का निर्णय तब होता है जब समाज तेज़ी से परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा होता है।
- भारत में उप-जातियों की बढ़ती सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण वे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व कायम कर रहे हैं। उदाहरण के लिये- गुज्जर, जाट, पाटीदार आदि।
- भले ही उप-क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी समरूपता, संस्कृति की प्रथा अभी भी प्रचलित है, जिसे आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता है।

क्षेत्र की तुलना में 'पंथ' का महत्त्व

- पंथ भौगोलिक पहलुओं से भी उभरते हैं, उदाहरण के लिये गद्दी जैसी पहाड़ी जनजातियाँ अपने व्यवहार में भी खानाबदोश हैं, शेख उत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाने वाले मुस्लिम समुदाय है तथा शेख में चार मुख्य समुदाय सिद्दीकी, फारूक, उस्मानी, अब्बासी हैं।
- समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से धर्म के पालन में असमानता के अनुभव, मुसलमानों के आक्रमण और हिंदू समाज पर मुस्लिम शासकों द्वारा अर्जित राजनीतिक प्रभुत्व के कारण महाराष्ट्र में विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ।

धर्म की तुलना में 'पंथ' का महत्त्व

- हिंदू धर्म चार प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है: वैष्णव, शैव, स्मार्त और शक्तिवाद। संप्रदाय मुख्य रूप से सर्वोच्च के रूप में पूजे जाने वाले देवता और उस देवता की पूजा के साथ आने वाली परंपराओं में भिन्न होते हैं।
- इस्लामी कानून (फिक्ह) और इस्लामी इतिहास की समझ के आधार पर मुसलमानों को कई संप्रदायों में विभाजित किया गया है जबकि संप्रदाय के आधार पर मुसलमानों को दो भागों में बाँटा गया है- सुन्नी और शिया।
- बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था अर्थात् महायान और हीनयान।
- ईसाई दो संप्रदायों में विभाजित हैं- कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। पूर्व को परंपरावादी और बाद वाले को सुधारवादी माना जा सकता है। दोनों मुख्य रूप से चर्च के अधिकार के सवाल पर विभाजित हैं।
- भारतीय समाज सिंधु सभ्यता से आज के वैश्वीकृत विश्व की यात्रा का परिणाम है।
- इस यात्रा में यह बाहरी दुनिया और समाज के भीतर सुधार आंदोलनों के प्रभाव में कई परिवर्तनों से गुज़रा है। हालाँकि, जो अद्वितीय और सराहनीय है वह यह तथ्य है कि यह अपने अतीत को संरक्षित करते हुए विभिन्न विशेषताओं को अपनाने और स्वीकार करने में कामयाब रहा है।

2021

प्रश्न : भारत के प्रमुख शहरों में आई.टी. उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्या हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

What are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in major cities of India?

उत्तर : शहरों का भारत की जनसंख्या में लगभग 31% और सकल घरेलू उत्पाद में 63% हिस्सा है। वैश्वीकरण का प्रभाव शहरों के आर्थिक परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का सामाजिक ढाँचा भी प्रभावित हुआ है। आई.टी. उद्योग ने 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8% हिस्सा है।

भारत में आई.टी. उद्योग भारत के प्रमुख महानगरीय शहरों, जैसे बंगलूरू, मुंबई, चेन्नई आदि में केंद्रित है। इन शहरों में आई.टी. उद्योगों की इस पृथक् सघनता के कई सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ हैं, जैसे-

- **आर्थिक सशक्तिकरण :** प्रमुख शहरों में आई.टी उद्योगों के विकास से आर्थिक सशक्तिकरण, उच्च रोज़गार के अवसरों और सहायक व्यवसायों के विकास के माध्यम से नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ।
- **लैंगिक समानता :** बड़े शहरों में गुणवत्ता वाली नौकरियों में महिलाओं की श्रमशक्ति की भागीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तीकरण हुआ है।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन :** एकल परिवारों में वृद्धि, भोजन की पसंद, मनोरंजन के तरीकों में बदलाव देखा जा सकता है, उदाहरण के लिये बंगलूरू की कैफे संस्कृति।
- **सामाजिक बुनियादी ढाँचा :** आई.टी. उद्योग के विकास ने सामाजिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा दिया है। यह स्कूलों, अस्पतालों आदि की उच्च उपलब्धता में देखा जा सकता है।

- **प्रवासन:** चूँकि ये शहर ज्ञान अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गए हैं, युवाओं में करियर के बेहतर अवसरों के लिये इन शहरों में प्रवास करने के वरिष्ठ नागरिकों को टीयर-2, 3 शहरों में पीछे छोड़ते हुए प्राथमिकता दी जा रही है।
- **असंतुलित विकास:** मुट्ठी भर शहरों में आई.टी. उद्योग की एकाग्रता, टीयर-2, टीयर-3 शहरों की उपेक्षा का कारण बनी है। इसने देश में अस्वास्थ्यकर विकास विभाजन पैदा किया है। आई.टी. कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच वेतन में भी भारी अंतर है।
- **सुरक्षा चुनौतियाँ:** देर रात की कार्य संस्कृति, संपन्नता में वृद्धि ने नागरिकों और प्रशासन के लिये समान रूप से चोरी, छेड़खानी आदि की घटनाओं में वृद्धि के साथ सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

आई.टी. उद्योग का विकास देश के लिये एक वरदान के रूप में आया है। इसके विकास को टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिये, ताकि बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था में एक समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन तथा आई.टी. पार्क जैसी योजनाओं के माध्यम से आई.टी. उद्योग का दायरा देश के सामाजिक-आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों तक प्रसारित करने की आवश्यकता है। भारत का प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग 2025 तक वार्षिक राजस्व में 300-350 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न: भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिये?
(250 शब्द, 15 अंक)

How does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerate the changes taking place in it?

उत्तर: भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है, जो विविधता में एकता के पहलू पर बना है, जैसे– सहिष्णुता, सामूहिकता, अध्यात्मवाद, अहिंसा आदि जैसे कुछ सामाजिक मूल्य अति प्राचीन काल से हमारी पारंपरिक मूल्य प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। भारतीय समाज ने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखी है–

- परिवार जैसी संस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि पारंपरिक मूल्य समाजीकरण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं।
- त्योहारों का सामूहिक उत्सव भाईचारा, बंधुत्व, पवित्रता, बुराई पर अच्छाई की जीत आदि जैसे मूल्यों को पुष्ट करता है।
- समारोह से लेकर भजन-कीर्तन आदि सामाजिक मेलजोल, विचारों और मूल्यों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- विवाह, कभी-कभी अंतर्जातीय ने सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करने में मदद की है।

भारत निम्नलिखित कारणों से पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखने में सक्षम रहा है–

1. **लचीलापन:** भारतीय संस्कृति भिन्न और यहाँ तक कि भिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित करने में लचीली रही है।
2. **विकास:** भारतीय मूल्य प्रणाली समय के साथ प्रगतिशील तत्त्वों को अपनाने और प्रतिगामी प्रथाओं को त्यागने के साथ विकसित हुई है, उदाहरण के लिये– भारत के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन।
3. **आत्मसात् करना:** विदेशी जब भारत आए तो उनका भारतीयकरण हो गया, उदाहरण– सीथियन और मुगल आदि।
4. **शांतिपूर्ण सहअस्तित्व:** अलग-अलग युगों में बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, गुरुनानक आदि जैसे संतों ने हमेशा भौतिकवाद पर आध्यात्मिकता, आक्रामक प्रभुत्व पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर ज़ोर दिया।

हालाँकि तकनीकी, राजनीतिक और आर्थिक ताकतों के प्रभाव में सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं–

- **सहनशीलता में गिरावट:** गुरुग्राम में नमाज़ में मुद्दे और हरिद्वार धर्म संसद जैसी घटनाएँ बढ़ती असहिष्णुता की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।
- **व्यक्तिवाद का उदय:** व्यक्तिवाद का उदय और सामूहिक मूल्यों में गिरावट, भौतिकवाद और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने व्यक्तिगत लक्ष्यों के स्वार्थ खोज में वृद्धि की है, जबकि समाज की सामूहिक आवश्यकता को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
- एक संस्था के रूप में परिवार का विघटन, एकल परिवार को बल मिला।
- आधुनिक शिक्षा और प्रगतिशील न्याय व्यवस्था ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, जैसे– समलैंगिकता को कानूनी स्वीकार्यता।
- सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचनाओं के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है और अप्रचलित समाजीकरण के पारंपरिक तरीके को बदल दिया है। अब सोशल मीडिया हमारे सामाजिक मूल्यों को अच्छे और बुरे दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिये 'ME TOO' अभियान या हाल ही में 'बुल्ली बाई' का मामला।

हालाँकि, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीय पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के संतुलन को बदल दिया है, किंतु भारतीय समाज की गतिशीलता ने जहाँ परंपरागत और आधारभूत मूल्यों को सुरक्षित कर लिया है तो वहीं आधुनिक संवैधानिक और लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों की प्रतिकूल परंपराओं का उन्मूलन कर दिया है।

प्रश्न: भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकॉनमी की भूमिका का परीक्षण कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

Examine the role of 'Gig Economy' in the process of empowerment of women in India.

उत्तर: गिग इकॉनमी एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है, जिसमें अस्थायी रोज़गार का प्रचलन होता है और संगठन अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं के लिये स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त करते हैं।

गिग इकॉनमी निम्नलिखित तरीकों से भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में मदद कर सकती है–

- गिग रोज़गार अंशकालिक काम और लचीले कामकाजी घंटों की अनुमति देता है, जो महिलाओं को रोज़गार के साथ अपनी पारंपरिक भूमिकाओं (गृहिणी और देखभाल करने वाले) को संतुलित करने की अनुमति देता है।

- वर्क फ्रॉम होम और प्रौद्योगिकी द्वारा पूरक गिग रोज़गार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में महिलाओं के लिये रोज़गार के नए अवसर सृजित किये।
- महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार कार्यबल में शामिल होने और छोड़ने की अनुमति देकर मांग के अनुसार काम प्रदान किया।
- गिक इकॉनमी महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करती है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और निर्णय लेने की शक्ति देती है, जो महिला सशक्तिकरण का महत्त्वपूर्ण घटक है।

गिग इकॉनमी की चुनौतियाँ

- गिग इकॉनमी विशुद्ध रूप से मांग और आपूर्ति के बाज़ार सिद्धांत पर काम करती है। यह मनुष्य को एक अन्य संसाधन के रूप में देखती है।
- नियोक्ताओं द्वारा आसानी से बदले जा सकने वाले कम कौशल वाले गिग मज़दूरों का शोषण किया जा सकता है।
- काम की उपलब्धता और करियर की स्थिरता के बारे में निश्चितात्मकता का भी अभाव है।
- गिग कर्मचारी न्यूनतम मज़दूरी, बीमा, पी.एफ, सेवानिवृत्ति योजना, सवैतनिक अवकाश, मातृत्व लाभ आदि के हकदार नहीं होते हैं।
- स्थायी कर्मचारियों के पास ग्रेड पे के साथ-साथ यात्रा भत्ता जैसे लाभ होते हैं। गिग श्रमिकों को काम की मात्रा के अनुसार कड़ाई से भुगतान किया जाता है।
- कम कौशल वाले गिग कर्मचारी संगठनात्मक पदानुक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और पदोन्नति के लिये विचार नहीं किया जाता है।

लघु अवधि में गिग इकॉनमी महिला श्रम बल की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकती है, लेकिन इसके साथ-साथ जेंडर संवेदीकरण-कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि का सफल कार्यान्वयन और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे प्रयास करने चाहियें।

प्रश्न: मुख्यधारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जाँच कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

Examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with mainstream knowledge and cultural systems.

उत्तर: जनजातीय ज्ञान प्रणालियाँ सदियों के अनुभव और सीखों के माध्यम से वर्तमान समय में पारित अंतर पीढ़ीगत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि समान विशेषताओं को मुख्यधारा के ज्ञान और संस्कृतिक के विकास में देखा जा सकता है।

जनजातीय ज्ञान प्रणालियाँ अद्वितीय हैं

- **प्रकृति से निकटता:** वनों वनस्पतियों और जीवों से निरंतर निकटता के कारण जनजातीय समाजों को प्रकृति का समकालीन ज्ञान है। मुख्यधारा की ज्ञान प्रणालियाँ औपचारिक शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था जैसी बाधाओं से बँधी हैं।
- **पारंपरिक मूल्य और नैतिकता:** यह प्राकृतिक संसाधन संचयन, संरक्षण और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित है। यह पवित्र उपवनों की अवधारणा मौसम आधारित प्रथाओं, जैसे– प्रजनन के मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध।
- **ज्ञान का स्रोत:** मुख्य धारा की ज्ञान प्रणालियाँ विचारों, विज्ञान, तर्कसंगतता और विकास प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर आधारित हैं, दूसरी ओर जनजातीय पद्धतियाँ ज्ञान के संरक्षण पर आधारित हैं।
- **लैंगिक समानता:** 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार लिंगानुपात और महिला श्रमबल की भागीदारी देश में औसत मूल्यों की तुलना में बेहतर है। इसके अलावा कई आदिवासी समुदाय नीलगिरि की टोडा जनजाति बहुपतित्व विवाह को मानते हैं, जो महिलाओं के लिये अधिक मूल्य दर्शाता है।
- **आपदा प्रबंधन:** आदिवासियों को प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने के लिये स्वदेशी तरीकों के बारे में पता चला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ स्वयं को चक्रवात से बचाने के ऐतिहासिक तरीकों से अवगत हैं।
- **पारंपरिक तकनीकी ज्ञान:** कृषि और पशुपालन आदि से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये उपकरण और तकनीक का ज्ञान।

जनजातियों के पास पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति की अकूत संपदा है, जिसे मुख्यधारा से संवाद और समन्वय स्थापित करके न केवल संरक्षित किया जा सकता है अपितु मानव कल्याण और समावेशी विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रश्न: क्रिप्टोकरेंसी क्या है? वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? **(250 शब्द, 15 अंक)**

What is Cryptocurrency? How does it affect global society? Has it been affecting Indian society also?

उत्तर: क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक आभासी मुद्रा है। इसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत डाटाबेस में संग्रहीत किये जाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है और सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण से मुक्त है।

क्रिप्टोकरेंसी एक नई उभरती हुई तकनीक है, जो लोगों के मौद्रिक लेन-देन करने के तरीके में क्रांति ला रही है। क्रिप्टो ने वैश्विक समाज को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित किया है, जैसा कि–

- क्रिप्टोकरेंसी का बढ़ता उपयोग आर्थिक रूप से वैश्विक समाज को एकीकृत कर रहा है। वर्तमान में दुनिया विभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में विभाजित है। यह तेज़ी से लेन-देन का एक लोकप्रिय तरीका बनता जा रहा है।
- क्रिप्टोकरेंसी मुद्रा जारी करने की संप्रभुशक्ति को छीन लेती है। इस प्रकार आर्थिक नीति को अप्रभावी बनाना, नागरिक और सरकार के बीच बंधन को कमज़ोर करना।

- क्रिप्टों में लेन-देन सस्ता और तेज़ है। इस प्रकार यह पूंजी को व्यापक आर्थिक स्थिरता और परिणामी सामाजिक परिणामों के लिये अधिक जोखिम पैदा करता है।
- क्रिप्टोकरेंसी एक नए एसेट क्लास करेंसी (सोने के विकल्प) के रूप में उभरी है। हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में उतार-चढ़ाव ने राजा और भिखारी दोनों बना दिये हैं।
- क्रिप्टो का उपयोग आतंकवादी संगठन, ड्रग कार्टेल द्वारा वर्जित तस्करी के लिये किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्रिप्टोकरेंसी में गुमनामी से समाज में अपराध बढ़ने की संभावना है।
- क्रिप्टो की बढ़ती स्वीकार्यता के साथ, डिजिटल रूप से निरक्षर लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। इस प्रकार यह असमानता में अनुपातहीन वृद्धि का कारण बन सकता है।

भारतीय समाज पर क्रिप्टो का प्रभाव

क्रिप्टो अभी भी भारत में एक प्रारंभिक चरण में है, जैसा कि RBI ने 2018 में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया था। भारतीय समाज पर क्रिप्टो का निम्न प्रभाव है–

- नया क्रिप्टो समुदाय उभरा, जिसमें शौकिया निवेशक, पेशेवर और नौकरियाँ शामिल हैं, जो समाज में सामने आए।
  - **उदाहरण :** कई क्रिप्टो-एक्सचेंज आ गए हैं।
- भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता है। हालाँकि, लोग रूपांतरण प्रसंस्करण शुल्क और क्रिप्टो में स्विच करने पर पैसे खो देते हैं, जिससे लोगों को इन खर्चों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी।
- क्रिप्टोकरेंसी ने भारी रिटर्न की पेशकश की है, इसलिये भारतीय युवाओं के बीच इन अस्थिर संपत्तियों में निवेश करने की सनक बन गई है, इससे जुड़े जोखिम को नज़रअंदाज कर दिया गया है।
- भारत वानाक्राई आदि रैंसमवेयर हमलों का शिकार हुआ और फिरौती को क्रिप्टो में एकत्र किया गया, जो डिजिटल जबरन वसूली की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।
- क्रिप्टोकरेंसी के पीछे अंतर्निहित प्रौद्योगिकी की क्रांतिकारी क्षमता का उपयोग करने के लिये, इनके नकारात्मक परिणामों को समाप्त करने के लिये वैश्विक स्तर पर UNODC-CMLS द्वारा विकसित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न देशों को अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिये। इसके साथ ही यूएसए में प्रयोग हो रहे नवीन फॉरेंसिफ सॉफ्टवेयर को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से उच्च मात्रा में होने वाले क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण का विश्लेषण करना संभव है।

प्रश्न: जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिये?
(250 शब्द, 15 अंक)

Discuss the main objectives of Population Education and point out the measures to achieve them in India in detail.

उत्तर : भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन हो गई है तथा इसके वर्ष 2026 तक चीन से ज़्यादा हो जाने की संभावना है। ऐसे में भारत के लिये जनसंख्या शिक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार "जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति के अध्ययन के लिये छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कसंगत और ज़िम्मेदार दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।"

जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य

- यह समझने में मदद करती है कि परिवार के आकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या की सीमा राष्ट्र में जीवन की उच्च गुणवत्ता के विकास की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं– सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पर जनसंख्या के रुझान के प्रभाव की समझ विकसित करना।
- यह समझने में मदद करती है कि परिवार का छोटा आकार व्यक्तिगत परिवार के जीवन स्तर में भौतिक रूप से योगदान कर सकता है।
- वैज्ञानिक और चिकित्सीय उन्नति की समझ विकसित करना, जिससे अकालों, बीमारियों और अंततः मृत्यु पर बढ़ता हुआ नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और इस प्रकार मृत्यु दर और जन्म दर के बीच असंतुलन पैदा किया जा सके।

उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय

भारत 1952 में स्पष्ट रूप से अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला पहला देश था। कार्यक्रम का उद्देश्य "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने के लिये" जन्मदर को कम करना था।

उपाय

- परिवार नियोजन प्रदाता आधार को बढ़ाने के लिये NGO सुविधा।
- कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना।
- राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया।
- परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS) शुरू की गई।
- नसबंदी के बाद होने वाली मौतों, जटिलताओं और विफलताओं की स्थिति में ग्राहकों का बीमा किया जाना।
- छोटे परिवार प्रजनन जीव विज्ञान आदि के बारे में बच्चों को शिक्षित करने के लिये स्कूल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।
- लोगों को शिक्षित करने के लिये 'आशा' कार्यकर्त्ताओं का उपयोग।

भारत के 2027 तक चीन को पछाड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान है। अगर सही तरीके से काम नहीं किया गया तो इतनी बड़ी आबादी अभिशाप बन सकती है। इसलिये

नीति-निर्माताओं के लिये नीतियों को तैयार करने और उनके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये जनसंख्या शिक्षा पहलों को अपनाना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विशाल आबादी एक परिसंपत्ति के रूप में बनी रहे।

2020

प्रश्न: क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क दीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue.

उत्तर : क्षेत्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लोगों द्वारा अपनी अनूठी भाषा, संस्कृति आदि से एकजुट होकर पहचान और उद्देश्य की सामान्य भावना की अभिव्यक्ति है, लेकिन केवल सांस्कृतिक मुखरता ही क्षेत्रीयतावाद का कारण नहीं है।

क्षेत्रवाद की पृष्ठभूमि

- डीएमके के द्वारा चलाया गया द्रविड़ आंदोलन
- 1950 के दशक में 'भूमि पुत्र'
- भाषायी आधार पर राज्यों का गठन (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना)
- उत्तर-पूर्व में अलग राज्य के लिये उग्रवाद

अन्य कारण जो क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते हैं

- आर्थिक असमानता
- राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की असफलता
- सांस्कृतिक विविधता (भाषायी आकांक्षाएँ/जातीयता की अभिव्यक्ति)
- ऐतिहासिक और भौगोलिक अलगाव
- रोज़गार हेतु प्रवासियों के आने से क्षेत्र के मूल निवासी खुद असुरक्षित महूसस करते हैं, जिसका राजनीतिक लाभ लेने हेतु स्थानीय नेता क्षेत्रीयतावाद को भड़काने में ज़रा भी पीछे नहीं रहते।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयतावाद एक संकीर्ण नज़रिये का द्योतक है। अत: एक राष्ट्र के रूप में हम सबका कर्त्तव्य है कि बिना किसी भेदभाव के एक-दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें।

प्रश्न: क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Is diversity and pluralism in India under threat due to globalisation? Justify your answer.

उत्तर : वैश्वीकरण से आशय सिर्फ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिये सीमा खोजने से नहीं है, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति और सूचनाओं के आदान-प्रदान से भी है। भारत की विविधता और बहुलवाद पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं-

- अंग्रेज़ी का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे स्वदेशी भाषा और बोलियों पर संकट उत्पन्न हो रहा है। यूनेस्को के अनुसार 196 भारतीय भाषाएँ विलुप्त होने की स्थिति में हैं तथा अंडमान की 'ब्रू' भाषा विलुप्त हो गई है।
- परंपरागत भोज्य पदार्थों की अपेक्षा ईटालियन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज़ आदि खाद्य पदार्थों की मांग तेज़ी से बढ़ी है।
  - भारतीय भोज्य पदार्थों का मैकडोनलाइजेशन हो गया है।
- परंपरागत पहनावे का स्थान पाश्चात्य वस्त्र ले रहे हैं, जैसे- जींस, टी शर्ट।
- पश्चिमी नृत्य संगीत, जैसे- हिप-हॉप, जैज़, रैप, बेली डांस इत्यादि की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है।
- पश्चिमी पर्वों, जैसे-फ्रेंडशिप डे, मदर डे आदि का चलन बढ़ रहा है।

वास्तव में वैश्विक (ग्लोबल) उत्पादों और परंपराओं की स्थानीय (लोकल) मांग और अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन से उत्पन्न है, अर्थात् सिर्फ भारत ही पश्चिमी परंपराओं को नहीं अपना रहा है, बल्कि भारतीय परंपराओं का प्रभाव भी अन्य देशों में बढ़ रहा है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं-

- भारत की शाकाहारी आबादी के लिये बर्गर में आलू का तथा थाई, चाइनीज़ इत्यादि भोजन में भारतीय मसालों का उपयोग करना।
- भारतीय लोक संगीत और पश्चिमी संगीत के फ्यूजन से निर्मित इंडियन पॉप संगीत का प्रचलन।
- वस्त्रों के स्तर पर भारतीय कुर्ते के साथ जींस पहनने का प्रचलन।
- विदेशों में भारतीय पर्व दीपावली और होली पर विभिन्न आयोजन होना तथा भारतीय व्यंजनों का पश्चिम में बढ़ता प्रचलन।
- भारतीय 'योग' और आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति तथा कोरोना काल में 'नमस्ते' का बढ़ता प्रचलन।

वास्तव में वैश्वीकरण बहुलवाद और विविधता पर संकट का कारण नहीं है; बल्कि इनके विकास और प्रसार में सहयोगी है। वैश्वीकरण के प्रभाव से विभिन्न संस्कृतियों का एक-दूसरे से परिचय हो रहा है और उनके समन्वय से नवीन भोज्य पदार्थ, संगीत, नृत्य इत्यादि का सृजन हो रहा है।

प्रश्न: बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Has caste lost its relevance in understanding the multi-cultural Indian Society? Elaborate your answer with illustrations.

उत्तर : जाति व्यवस्था भारतीय समाज का आधारभूत लक्षण है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में कमज़ोर अवश्य हुई है, किंतु यह समाप्त होने की अपेक्षा संक्रमण काल से गुज़र रहे भारतीय समाज के साथ नए संदर्भों में पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है-

- जातिगत आधार पर आरक्षण के लिये नए आंदोलनों का उदय हुआ है, जैसे- जाट, पाटीदार और मराठा जातियों द्वारा आंदोलन।

- विभिन्न वर्गों में जातिगत सजगता मज़बूत हो रही है। इसे शहरी क्षेत्रों में ब्राह्मण महासभा, अग्रवाल महासभा इत्यादि की स्थापना के रूप में देखा जा सकता है।
- जातियों के आधार पर प्रचलित विभिन्न रीति-रिवाज़ों, जैसे– ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार, क्षत्रियों में शस्त्र पूजा इत्यादि का प्रचलन।
- वैवाहिक विज्ञापनों में जातिगत पहचान के आधार पर वैवाहिक रिश्तों को प्राथमिकता।
- राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर दल में पदों और चुनाव टिकट का वितरण तथा विशेष जाति समूह के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन।
- भारतीय संविधान अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किंतु हाथ से मैला ढोने के लिये निचली जातियों के लोगों को रखा जाता है।

जाति व्यवस्था की शिथिलता

- संस्कृतिकरण/पश्चिमीकरण
- अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन
- मध्यवर्ग का उदय
- खाप पंचायत जैसे जाति समूहों को न्यायपालिका के दायरे में लाना।
- संविधान में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिये शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में आरक्षण का प्रावधान है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वर्तमान में भी जाति की प्रासंगिकता नए स्वरूप में बनी हुई है। वास्तव में वैश्वीकरण और शहरीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था संक्रमण के दौर से गुज़र रही है तथा जातियों का आर्थिक स्थितियों के अनुसार वर्गों में विभाजन हो रहा है।

प्रश्न: कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)
COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India. Comment.

उत्तर: कोविड-19 के कारण धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन का अनौपचारिक क्षेत्र पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिस पर प्रवासी श्रमिकों और दिहाड़ी-पटरी वालों सहित 85% कार्यबल निर्भर है। मध्यम आय वाले भारत जैसे देश में उच्च गरीबी का सामना कर रही जनसंख्या की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से एक ओर जहाँ वर्गीय असमानता में वृद्धि हो सकती है तो दूसरी ओर 'नए गरीब' वर्ग का उदय भी हो सकता है।

कोविड के कारण असमानता में वृद्धि

- रेहड़ी-पटरी वाले सामाजिक संरक्षण के अभाव और ऑनलाइन शॉपिंग के कारण पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कोविड के कारण संकुचित अर्थव्यवस्था ने इनकी सुभेद्यता को अधिक बढ़ा दिया है।
- महिलाओं की रोज़गार में भागीदारी कम हुई है और उनके पारिवारिक दायित्व में प्रतिदिन 5 घंटे की वृद्धि हुई है।
- डिजिटल शिक्षा का प्रचलन बढ़ा है, किंतु देश में मात्र 25% परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित हो गया है।
- इस प्रकार लैंगिक और शैक्षणिक स्तर पर असमानता में वृद्धि हुई है।

कोविड के कारण गरीबी में वृद्धि

- लॉकडाउन के दौरान आय के अभाव में प्रवासी श्रमिकों का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या बढ़ रही है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि होने से नए गरीब वर्ग का उदय हो रहा है।
- नौकरी गँवाने वाले लोग अभी तक रोज़गार नहीं ढूँढ़ पा रहे हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र में आजीविका के अवसर लॉकडाउन के बाद बहुत कम बन पाए थे।

ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी 'असमानता वायरस रिपोर्ट' में पाया गया है कि कोविड-19 महामारी ने भारत और दुनिया भर में मौजूदा असमानताओं को और अधिक बढ़ाया है।

कोविड के कारण गतिशील हुई असमानता और गरीबी ने समावेशी विकास लक्ष्यों के मार्ग में विचलन उत्पन्न कर दिया है, जिससे निपटने के लिये पीएम स्वनिधि, पीएम ई-विद्या दीक्षा, गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।

प्रश्न: भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)
How have digital initiatives in India contributed to the functioning of the education system in the country? Elaborate your answer.

उत्तर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का कार्यान्वयन ऐसे समय में किया गया है, जब देश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था का संचालन डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ऐसे में नई शिक्षा नीति में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण को केंद्रीय महत्त्व प्रदान किया गया है। शिक्षा के डिजिटलीकरण में 'डिजिटल इंडिया' पहल प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सकती है। भारत में निम्नलिखित डिजिटल पहलों ने कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था संचालन में योगदान दिया है–

- **पीएम ई-विद्या:** यह एक व्यापक पहल है, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है।
- **दीक्षा:** यही सभी राज्यों और केंद्र सरकार में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय मंच है। इसे वेब-पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- **स्वयंप्रभा टीवी:** जिनकी इंटरनेट तक पहुँच नहीं है, उनके लिये 32 चैनल उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

- **दिव्यांगजन के लिये पहल:** एक डीटीएच चैनल विशेष रूप से सांकेतिक भाषा में श्रवण बाधित छात्रों के लिये है।
- दृष्टिहीन और श्रवण बाधित छात्रों के लिये डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली (डेसी) और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री विकसित की गई है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है।
- **ई-पाठ्य पुस्तक:** ई-पाठ्यपुस्तकों को ई-पाठशाला वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। इसमें 3,500 से अधिक डिजिटल किताबें विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- **एनआरओईआर:** मुक्त शैक्षिक संसाधन का राष्ट्रीय भंडार (NROER) ई-सामग्री का एक खुला भंडार है।
- **मनोदर्पण:** छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मनोदर्पण पोर्टल कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल करता है।
- **ई-यंत्र:** यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है।

चुनौतियाँ

- अधिकांश परिवारों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न होना।
- छात्रों के पास डिजिटल उपकरण न होना।
- शिक्षक को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण न होना।

डिजिटल पहलों ने कोरोना के दौरान शिक्षण संस्थानों के बंद रहने पर भी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने में सहयोग प्रदान किया है। अत: इन चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता है।

प्रश्न: रीति-रिवाज़ों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं?

(250 शब्द, 15 अंक)

Customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. Do you agree?

उत्तर : परंपराओं से आशय व्यक्तियों के एक समुदाय के उन सभी रीति-रिवाजों, विचारों, आदतों और प्रथाओं के योग से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। रीति-रिवाज़ का संबंध दैनिक चर्चा या जीवन की प्रमुख घटनाओं से होता है, जो समुदाय के धर्म और त्योहार का भी हिस्सा होते हैं।

किसी समाज की व्यवस्था निर्धारण में परंपराओं की आधारभूत भूमिका होती है। एक समाज में अनेक परंपराएँ ऐसी होती हैं, जिन्हें तर्क या प्रगति के विरोध में नहीं कहा सकता है, जैसे–

- जन्म के समय बच्चों को शहद चटाना/अन्नप्राशन संस्कार।
- भोजन से पूर्व हस्त प्रक्षालन और परिवार द्वारा सामूहिक भोजन की परंपरा।
- भारतीय समाज में प्रचलित मस्तक पर तिलक लगाने की या नमस्कार करने की परंपरा
- परंपरागत पर्व, जैसे– असम में माघ, बिहू या पंजाब में बैसाखी का पर्व।
- प्रकृति के प्रति आस्था और सम्मान।
- अपने से बड़ों का सम्मान और चरण स्पर्श की परंपरा।
- दान और लंगर की परंपरा।
- सूर्य नमस्कार और योग।

परंपरा और रीति-रिवाज़ों का अंधानुकरण शोषण का कारण भी है–

- निकाह-हलाला और तीन तलाक जैसी रूढ़िवादी कुरीतियाँ।
- फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (FGM) खतना।
- बहु-विवाह/बाल विवाह, सती प्रथा/देवदासी।
- धर्म के नाम पर पशु बलि।
- कई धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक।
  जैसे- सबरीमाला मंदिर/हाजी अली दरगाह।
- रीति-रिवाज़ों और पवित्रता के नाम पर जातिगत भेदभाव।
- LGBTQ के साथ शोषण।
- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक रूप से सभी रीति-रिवाज़ और परंपराएँ तर्क को दबाकर प्रगति का विरोध नहीं करती हैं, बल्कि इसका एक छोटा-सा अंश ही तर्क और प्रगति के विरुद्ध है, जिसमें से अधिकांश कुप्रथाओं को वैधानिक और संवैधानिक उपायों द्वारा उन्मूलित कर दिया गया तथा अपनी विकास यात्रा में समाज समय के साथ अप्रासंगिक और अतार्किक हो चुकी परंपराओं को भी समाप्त करने का प्रयास करता रहता है।

2019

प्रश्न: क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

What makes Indian society unique in sustaining its culture? Discuss.

उत्तर : सामंजस्य और समावेशन की भावना भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही भारत ने समाज के विभिन्न तत्त्वों को उनकी पहचान से विरक्त किये बिना समायोजित किया है। भारतीय समाज का मूल तत्त्व विविध एवं विशिष्ट पहचानों, नृ-जातीयताओं, भाषाओं और धर्मों को शरण देने में निहित है। भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को अद्वितीय बनाने में निम्नलिखित तत्त्व योगदान देते हैं–

- **एक लौकिक दृष्टि:** भारतीय संस्कृति का ढाँचा मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर एक ऐसे दिव्य सृजन के रूप में देखता है, जो समाज में व्यक्तिगतता और विचारों की भिन्नता कों सहर्ष स्वीकार करता है।
- **सद्भाव की भावना:** भारतीय दर्शन और संस्कृति समाज में एक सहज सद्भाव और शांति की स्थापना का प्रयास करते हैं।
- **सहिष्णुता:** भारत में सभी धर्मों, जातियों, समुदायों के प्रति सहिष्णुता और उदारता की भावना पाई जाती है। भारतीय समाज ने शक, हूण,

सीथियन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी सबको स्वीकार किया और उनके प्रति सम्मान रखा। अशोक और अकबर जैसे शासकों ने विभिन्न धर्मों का संरक्षण दिया और यह सुनिश्चित किया कि यहाँ सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है।

- **निरंतरता और स्थिरता:** प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन की चमक आज भी बरकरार है। कई आक्रमण हुए, कई शासकों की स्थापना हुई, कई तरह के विधान लागू हुए, लेकिन आल भी कई पारंपरिक संस्थाएँ, धर्म, महाकाव्य, साहित्य व दर्शन आदि जीवित बने हुए हैं।
- **अनुकूलनशीलता:** अनुकूलनशीलता समय और स्थान के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया है। भारतीय समाज ने लचीलापन रखा है और बदलते समय के साथ स्वयं को समायोजित किया है।
- **जाति व्यवस्था और पदानुक्रम:** भारतीय समाज ने सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली विकसित की है, जो अतीत में बाहरी लोगों को समायोजित करने में मदद करती थी, लेकिन इसके साथ ही यह भेदभाव और पूर्वाग्रह का कारण भी रही है।
- **अनेकता में एकता:** अंतर्निहित भिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज अनेकता में एकता का उत्सव मनाता है जो आधुनिक भारत के संस्थापक सिद्धांतों और संवैधानिक आदर्शों में परिलक्षित होता है।

हाल के समय में भारतीय समाज में सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक असमानता और जातीय हिंसा जैसे कई विभाजनकारी मुद्दों का उभार देखा गया है, जो हमारे समाज के समय-परीक्षित लोकाचार को गंभीर चुनौती देते हैं। इसके बावजूद भारत एक विविधतापूर्ण देश बना हुआ है, जो सभी प्रकार के समुदायों का एक शानदार रूप प्रस्तुत करता है।

प्रश्न: "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
"Empowering women is the key to control population growth". Discuss.

उत्तर: हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि भारत सहित कई देशों के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। भारत की जनसंख्या 2050 तक 1.7 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।

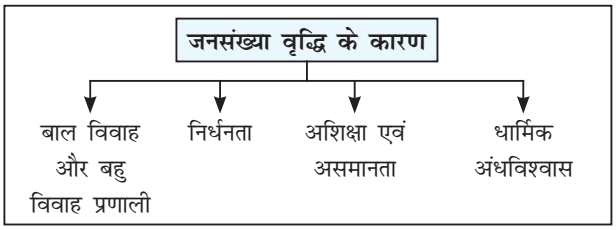

जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे को हल करने के प्रमुख तरीकों में से एक महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपने स्वयं के प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण देना है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया ही महिला सशक्तीकरण है।

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महिला सशक्तीकरण की भूमिका

- बालिकाओं को शिक्षित करना। जो महिलाएँ शिक्षित हैं, वे परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूक होने की अधिक संभावना रखती हैं।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, ताकि वे परिवार नियोजन के निर्णय स्वयं ले सकें।
- महिला सशक्तीकरण से मातृ और शिशु स्वास्थ्य भी बेहतर होता है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है।
- इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जैसे- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि।
- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अत: आवश्यक है कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित किया जाए।

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism?

उत्तर: भारत स्वतंत्रता के समय से ही धर्मनिरपेक्षता के एक अद्वितीय विचार का अनुसरण कर रहा है, जहाँ राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार किया जाता है। हालाँकि वर्तमान में यह अवधारणा एक परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है, जहाँ एक ओर न्यायपालिका द्वारा 'संवैधानिक नैतिकता' को धर्मनिरपेक्षता का एक महत्त्वपूर्ण घटक माना जा रहा है तो दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भ्रामक धारणाओं का प्रसार हो रहा है। इन परिवर्तनों से हमारी विविध सांस्कृतिक प्रथाओं के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

भ्रमित धरणाओं से उत्पन्न चुनौतियाँ

- **धार्मिकता, धर्मनिरपेक्षता-विरोधी और कट्टरपंथी-समर्थक है:** यह भ्रामक अवधारणा विभिन्न धार्मिक अभ्यासों, जैसे- अनुष्ठान, वस्त्र, विचार आदि को हतोत्साहित करती है। जो लोग भगवा पोशाक धारण करते हैं या जो दाढ़ी रखते हैं और इस्लामी टोपी (ताकिया) पहनते हैं, कट्टरपंथी माने जाते हैं।
- **धर्मनिरपेक्षता, नास्तिकता और धर्मत्याग के लिये समान है:** जो लोग ईश्वर को नहीं मानते या अपनी धार्मिक आस्थाओं का त्याग कर देते हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक प्रथाओं का धीमा क्षरण हो रहा है।
- **भोजन विकल्पों पर प्रतिबंध:** कुछ राज्य बहुसंख्यक धार्मिक भावनाओं का अनुसरण करते हुए गोमांस की बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं।
- **न्यायपालिकावाद (जूडिशो-पेपिज़्म):** कई बार न्यायपालिका धर्मनिरपेक्षता का संकीर्ण अभिप्राय ग्रहण करते हुए धार्मिक आयोजनों

और अभ्यासों में हस्तक्षेप करती रही है जैसे- संथारा पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक और दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक।

- **संवैधानिक नैतिकता के उदय के कारण उत्पन्न चुनौतियाँ:** न्यायपालिका ने निम्नलिखित आधारों पर कई सांस्कृतिक अभ्यासों पर आपत्तियाँ प्रकट की है–
  - **समानता का अधिकार:** तीन तलाक की प्रथा और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैधानिक घोषित किया। ऐसा इन प्रथाओं में निहित लैंगिक असमानता और लैंगिक शोषण के कारण किया गया था।
  - **पशु अधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की पारंपरिक प्रथा पर इसमें निहित पशु क्रूरता के आधार पर रोक लगा दी।
  - **अहितकर सांस्कृतिक प्रथाओं पर आपत्ति:** वर्ष 2018 में दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित महिला जनन अंगच्छेदन/खतना प्रथा (FGM) की अवैधता का प्रश्न सामने लाया गया। केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय भारत में इस अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने हेतु विचार है।

स्पष्ट है कि जहाँ कुछ चुनौतियाँ धर्मनिरपेक्षता की भ्रामक धारणा का परिणाम है, अन्य कई चुनौतियाँ स्वयं सांस्कृतिक अभ्यासों की शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण हैं। इसके समाधान के लिये धार्मिक नेता, न्यायाधीश, अधिकार कार्यकर्त्ता, नागरिक समाज समूह, गैर-सरकारी संगठन और सरकारी प्रतिनिधियों जैसे सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: दक्ष और किफायती (अफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है?

(250 शब्द, 15 अंक)

How is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India?

उत्तर: दशकों से देश भर में आर्थिक विकास को व्यक्तिगत परिवहन से जोड़ा जाता रहा है। इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। हालाँकि मांग के साथ सुविधाजनक परिवहन की मांग में तेज़ी से वृद्धि के लिये तैयार रहना चाहिये।

- दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन का महत्त्व:
  - बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निजी वाहनों के भारी उपयोग से विकास धीमा हो सकता है। प्रभावी रूप से नियोजित परिवहन इस अवरोध को दूर कर सकता है।
  - परिवहन सुधारों से नौकरियों, सेवाओं व गतिविधियों तक लोगों और व्यवसायों की पहुँच बढ़ती है तो उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।
  - सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग से उच्च कार्बन उत्सर्जन व प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
  - निजी परिवहन पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सकती है।
  - बहुआयामी सुविधा का निर्माण उन कंपनियों के लिये नए बाज़ार का मार्ग खोलता है जो अपनी व्यापार आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त परिवहन के लिये बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ अवस्थितियों की तलाश कर रही है।
- **दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन के निर्माण की ओर:** सरकार ने किफायती, दक्ष और सुलभ गतिशीलता प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न नीतियों को तैयार किया है–
  - राष्ट्रीय ट्रांजिट उन्मुखी विकास नीति, 2017
  - हरित शहरी परिवहन योजना, 2016
  - नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन/फेम
  - गति शक्ति मिशन
- मौजूदा सड़कों के कुशल उपयोग और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिये विनियम लागू किये जाने चाहिये।
- सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि परिवहन में नई तकनीकों को अपनाने से पूर्व पर्याप्त पारितंत्र लागू हो। उदाहरण के लिये, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु शहरों को पहले पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करनी होगी। इसी दिशा में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के सभी चुने हुए 100 शहरों ने नॉन-मोटराइज़्ड ट्रांसपोर्ट (NMT) प्रोत्साहन को अपने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में क्रमशः एक लक्ष्य के रूप में रखा है।

आने वाले वर्षों में उभरते बाज़ार, शहर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अतः भारत को अपने सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को तेज़ी से विकसित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Do we have cultural pockets of small India all over the nation? Elaborate with examples.

उत्तर: भारत के पास इस विश्व के लोगों के लिये भी बहुत विविध ताएँ हैं। इस सबसे पुरानी सभ्यता में, जो लोग विभिन्न उद्देश्यों, चाहे वह पर्यटन शिक्षा, लूट, शोषण या शासन करना रहा हो, के साथ यहाँ आए थे, उनमें से प्रत्येक के पास अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को संचित रखने के लिये पर्याप्त समय तथा अनुभव रहा है।

विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक क्षेत्र के उदाहरण

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की अपनी अलग भाषा, रीति-रिवाज़ और परंपरा है, जैसे- लोसार, खीर भवानी मेला।
- उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी, भोजपुरी व खड़ी बोली के आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र हैं।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों में कई जनजातीय समूह हैं, जिनकी अपनी अनूठी भाषा, संस्कृति और त्योहार हैं।
- हिमालयी राज्यों, जैसे- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के सांस्कृतिक केंद्र हैं तथा विभिन्न जातियाँ और जनजातियाँ अपनी-अपनी परंपराओं के साथ सह-अस्तित्व में हैं।
- दक्षिण भारतीय राज्य भी अपनी अनूठी और समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्रों से संपन्न है।

शहरों में सांस्कृतिक क्षेत्रों के उदाहरण

- छोटे शहरों के लोग रोज़गार, शिक्षा आदि की तलाश में शहरी केंद्रों और महानगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं और वे अंततः वहीं बस जाते हैं। जब अपेक्षाकृत छोटे स्थानों के लोगों में इस तरह की विविधता एक साथ होती है तो यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र बन जाता है।
- एक बड़ी और व्यापक संस्कृति के भीतर एक छोटी और अलग संस्कृति विकसित होती है, जैसे– दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरीय क्षेत्र कोच्चि, विशाखापत्तनम जैसे तटीय औद्योगिक केंद्र या अजमेर, अमरनाथ, वाराणसी जैसे धार्मिक केंद्र।
- महानगरीय क्षेत्र अपनी स्वयं की एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न है।
- शहरी क्षेत्रों में बहुमंज़िला हाउसिंग सोसाइटी भी सांस्कृतिक क्षेत्र का उदाहरण है। यहाँ विविध लोग एक साथ रहते हैं और खान-पान, परंपराओं और स्वदेशी परंपराओं का आदान-प्रदान करते हैं।
- बहुराष्ट्रीय संगठन और कॉर्पोरेट कार्यालय दोनों ही सांस्कृतिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जहाँ देश के कर्मचारी देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्र के हर कोने के विद्यार्थी एक साथ पाठ्यचर्या की गतिविधियों एवं उत्सवों में भाग लेते हैं।
- स्पष्ट है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने वाले, जीवन के प्रति विभिन्न मूल्यों एवं दृष्टिकोणों के साथ राष्ट्र भर में अनगिनत सांस्कृतिक क्षेत्र हैं और जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि भारत की संकल्पना की नींव में कई छोटे-छोटे भारत मौजूद हैं।

2018

प्रश्नः "जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।" टिप्पणी कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

"Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.

उत्तरः जाति एक व्यापक पदानुक्रमित संस्थागत व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसके साथ जन्म, विवाह, भोजन बंटवारा आदि मूलभूत सामाजिक कारकों को व्यक्ति की सामाजिक हैसियत तथा स्थिति के पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है।

जातियों का पारंपरिक श्रेणी क्रम पवित्र व दूषित के मध्य अंतर पर आधारित था। आजकल के समय में क्रम की अभिव्यक्ति काफी हद तक बदली है, किंतु व्यवस्था स्वयं में अधिक नहीं बदली है।

जाति व्यवस्था की नई पहचान तथा सहचारी रूप

- भारतीय लोकतंत्र में जातिगत राजनीति का उभार, जिसमें जातिगत पहचान तथा जातीय संगठनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण
- सकारात्मक कार्यवाही (Affirmative Action) प्राप्त समूहों, जैसे- एससी, एसटी तथा ओबीसी का एक राजनीतिक व धर्मनिरपेक्ष रूप से ही संगठित वर्ग के रूप में सकारात्मक कार्यवाही सिद्धांत पर एक दूसरे के लिये लड़ना
- उद्योगों के क्षेत्र में एसोसिएशन-दलित इंडियन चैबर ऑफ कॉमर्स
- उच्च समृद्ध समूहों में आरक्षण की मांग- उदाहरण- जाट एवं मराठा
- जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था ने भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय पहचान को और उपयोगी बना दिया है।
  - मेट्रिमोनियल वेबसाइटों पर जाति के आधार पर विवाह सुझाव
  - जाति गौरव की भावना के बल- उदाहरण- भीम आर्मी का उदय
  - जाति आधारित दबाव समूह- उदाहरण- सेना बिहार
  - भारत में जातियों का उपवर्गीकरण भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर नहीं होने देती
- जातियों का राजनीतीकरण, उदाहरण- जाति के आधार पर टिकट वितरण तथा वोट की अपील
- जातियाँ प्रतिष्ठा, पराक्रम आदि से जुड़ गई हैं। उदाहरण- रेजागंला युद्ध, अहीर रेजीमेंट की मांग

अतः भारत में नई-नई पहचानों एवं सहचारी रूपों के साथ जाति व्यवस्था का उदित होना सत्य है, किंतु समावेशी विकास की प्रक्रिया जाति के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति में लोकतांत्रिक परिवर्तन एवं अंतर्जातीय विवाह जैसे प्रयासों की सहज स्वीकार्यता से 'बंद जाति व्यवस्था' का उन्मूलन किया जा सकता है।

प्रश्नः सांप्रदायिता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभरकर आती है या आपेक्षिक वचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. Argue by giving suitable illustrations.

उत्तरः सांप्रदायिकता एक ऐसी अभिवृत्ति है, जिसके अंतर्गत एक संप्रदाय के अनुयायी अपने धार्मिक व राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु स्वयं के समूह को अन्य संप्रदाय के समूह के विरुद्ध संगठित करते हैं। सांप्रदायिकता धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा धार्मिक अंधभक्ति के अलावा शक्ति संघर्ष की प्रक्रिया में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति तथा आपेक्षिक वचन का परिणाम होती है।

शक्ति संघर्ष की प्रक्रिया धर्म आधारित राजनीति, राजनीतिक संगठन, चुनाव प्रचार, स्वार्थ से प्रेरित राजनीतिक आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसके कारण विभिन्न समुदायों में अविश्वास, अफवाह तथा अराजक तत्त्वों की भूमिका बढ़ने से सांप्रदायिकता मज़बूत होती है।

उदाहरण

- मुस्लिम अभिजात वर्ग से बनी मुस्लिम लीग ने सत्ता के लिये संघर्ष किया।
- खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन
- 1980 के दशक के अंत में कश्मीर में सांप्रदायिकता
- अफगानिस्तान में तालिबान का उदय

ध्यातव्य है कि 'सांप्रदायिकता' के मूल में धर्म को ही प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है किंतु 'आपेक्षिक वंचन' की भूमिका भी इस संदर्भ में निर्णायक रही है।

आपेक्षिक वंचन से सामाजिक तनाव व असमानता में वृद्धि, एक बड़ा तबका संपन्न तथा दूसरा वंचित होने से उत्पन्न असमानता विभिन्न समुदायों व धर्मों के मध्य संवाद तथा सहभागिता सीमित।

इस सामाजिक संवाद के अंतराल का अंतिम परिणाम आपसी अविश्वास होता है, जिससे सांप्रदायिकता की उत्पत्ति होती है।

उदाहरण

- असम में विदेशियों तथा अवैध प्रवासियों का मुद्दा, क्षेत्र के सीमित संसाधन के कारण उत्पन्न
- भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सांप्रदायिक तनाव का सबसे बड़ा कारण मुस्लिमों के मध्य सापेक्षिक वंचन को बताया

अत: 'सांप्रदायिकता' एक ऐसी उग्र विचारधारा है, जिसके बीज धर्म के अलावा अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों में छिपे रहते हैं, जिनका समाधान संतुलित विकास एवं संवाद प्रक्रिया में खोजा जा सकता है।

प्रश्न: भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद, निर्धनता अभी भी विद्यमान है। कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Despite implementation of various programmes for eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing. Explain by giving reasons.

उत्तर: विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी को कल्याण में कमी कहा जाता है तथा इसमें कई आयाम शामिल होते हैं। इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीवित रहने के लिये आवश्यक बुनियादी वस्तुओं व सेवाओं को हासिल करने में असमर्थता शामिल है। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011 में भारत में 21.9% जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

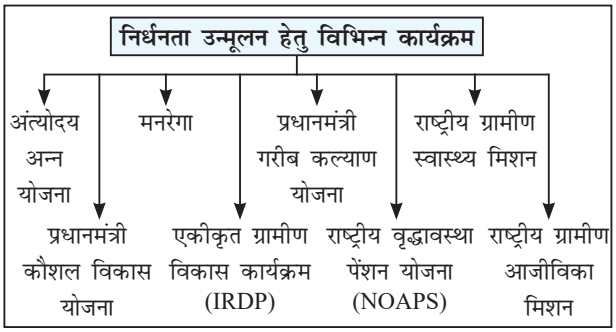

गरीबी उन्मूलन प्रयासों की विफलता तथा निर्धनता के बने रहने के कारण

- **जनसंख्या विस्फोट:** पिछले लगभग 50 वर्षों से भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है तथा 2.2% यह प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। आज भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।
- **निम्न कृषि उत्पादकता:** कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इसके लिये खंडित व उपविभाजित भूमि स्रोत, पूंजी की कमी, कृषि की पारंपरिक विधियों का उपयोग, भंडारण के दौरान बर्बादी आदि।
- **अकुशल संसाधन उपयोग:** इसके कारण देश में विशेषत: कृषि क्षेत्र में अल्परोज़गार व प्रच्छन्न बेरोज़गारी की समस्या बनी हुई है, जिससे उत्पादन में कमी तथा जीवन स्तर में गिरावट आई है।
- जलवायु परिवर्तन, रोज़गार विहीन विकास, उच्च मुद्रास्फीति आदि ने सरकार की नीतियों व प्रयासों को कम किया है।
- आधुनिक डिजिटल डिवाइड भी निर्धनता में वृद्धि करती है। विश्व विकास रिपोर्ट, 2017 डिजिटल डिवाइड के कारण भारत डिजिटल डिविडेंड को भुनाने में पिछड़ रहा है।
- योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान में भ्रष्टाचार के मामलों की अधिकता तथा प्रत्येक स्तर पर प्रामाणिक आँकड़ों का अभाव है।
- विभिन्न स्तरों पर रिसाव से वंचित लोगों हेतु उपलब्ध संसाधनों का विचलन हुआ है।

ये सभी कार्यक्रम अप टू बॉटम पर आधारित हैं किंतु इस प्रकार के दृष्टिकोण में निर्णयन में समन्वय की कमी होती है जो धन की रुकावट एवं वितरण में विषमता का कारण बनता है। गरीबी का यथार्थवादी आकलन, अमीर लोगों की संपत्ति पर कर, ज़रूरतमंदों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आदि निर्धनता उन्मूलन हेतु प्रभावी कदम साबित हो सकते हैं। यह सतत् विकास के लक्ष्य 1 तथा 10 को प्राप्त करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन-किन बातों में भिन्न है? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

How the Indian concept of secularism is different from the western model of secularism? Discuss.

उत्तर: धर्मनिरपेक्षतावाद राज्य से धर्म को अलग करने को संदर्भित करता है। यह आधुनिक काल का एक ऐसा सिद्धांत है, जो अंतर-धार्मिक तथा अंतरा-धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पाश्चात्य मॉडल में भिन्नता के मुख्य आधार

- दोनों स्थानों पर धर्म के अर्थ में अंतर है।
- दोनों स्थानों पर धर्मनिरपेक्षता का उदय भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में हुआ।

भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद एवं पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद में भिन्नता	
❑ सभी धर्मों के प्रति समान तथा अपने सभी सदस्यों के बीच बिना किसी पक्षपात के व्यवहार ❑ किसी भी धर्म को आधिकारिक नहीं मानता तथा किसी विशेष धर्म मे निष्ठा नहीं रखता।	❑ केवल चर्च-राज्य अलगाव पर केंद्रित ❑ राज्य तथा धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव और सभी व्यक्तियों के लिये धर्म की स्वतंत्रता

❑ राज्य को धर्म से अलग करने तथा सभी धर्मों की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है। ❑ धार्मिक प्रचुरता तथा अधार्मिकता नहीं ❑ राज्य धर्म से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है। ❑ धर्म का अर्थ सद्गुण व स्वकर्त्तव्य पालन। अत: धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ पंथ/संप्रदाय से राजनीति का पृथक्करण ❑ धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्देश्य सांप्रदायिकता का विरोध	❑ धर्म के अभाव को धर्मनिरपेक्षता मानता है। ❑ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार ज़रूरी नहीं, किंतु विश्वव्यापी धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति ❑ राज्य धर्म से संबंधित मामलों पर कानून नहीं बना सकता है। ❑ धर्म का अर्थ मज़हब है जो किसी अतींद्रिय सत्ता पर आधारित है। अत: धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म है। तटस्थता धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्देश्य धर्म की उपेक्षा तटस्थता तथा विरोध है।

अत: धर्मनिरपेक्षतावाद के भारतीय एवं पाश्चात्य मॉडल देश व कालजन्य भिन्नताएँ अवश्य हैं, किंतु दोनों स्थानों पर इस विचारधारा का मूल उद्देश्य मानववाद, नैतिकता तथा तार्किकता की स्थापना है।

प्रश्न: भारत में महत्त्वाकांक्षी ज़िलों के कायाकल्प के लिये मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिये और इसकी सफलता के लिये अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्द्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Mention core strategies for the transformation of aspirational districts in India and explain the nature of convergence, collaboration and competition for its success.

उत्तर: भारत सरकार ने देश के कुछ अत्यंत अविकसित ज़िलों के तीव्र एवं प्रभावी रूपांतरण के लिये 2018 में ट्रांसफॉरमेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्स प्रोग्राम शुरू किया। वर्तमान में इसके अंतर्गत 27 राज्यों के कुल 112 ज़िलों को सम्मिलित किया गया है।

महत्त्वाकांक्षी ज़िलों के कायाकल्प हेतु मूल रणनीतियाँ

- इन ज़िलों में विकास को जन आंदोलन बनाना
- प्रत्येक ज़िले की स्ट्रेंथ पर कार्य
- प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने हेतु ज़िलों को रैंक देना तथा प्रगति को मापना
- ज़िले में राज्य के सर्वश्रेष्ठ से राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ की आकांक्षा जगाना
- विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक ज़िले की स्ट्रेंथ व आसानी से प्राप्त हो सकने वाले लक्ष्यों की पहचान।
- इन ज़िलों में विकास को जन आंदोलन बनाना।

महत्त्वाकांक्षी ज़िलों के कायाकल्प प्रोग्राम की सफलता के लिये तीन केंद्रीय सिद्धांत जिनमें केंद्रीय व राज्य योजनाओं के मध्य अभिसरण, केंद्रीय राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी एवं ज़िलेाधीशों का सहयोग तथा ज़िलों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा की परिकल्पना की गई है।

प्रोग्राम की सफलता हेतु अभिसरण, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा की प्रकृति

- एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम सामूहिक एवं सहयोगात्मक प्रयास का एक उत्पाद है, जिसमें राज्य मुख्य चालक है, जिन्हें नीति आयोग द्वारा सहारा दिया जा रहा है।
- अलग-अलग मंत्रालयों के साथ-साथ संबंधित ज़िले के प्रशासन ने ज़िलों की प्रगति को चलाने की ज़िम्मेदारी सँभाली।
- प्रत्येक ज़िले के लिये अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर का एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है।
- प्रोग्राम को लागू करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करना। राज्यों ने नोडल अधिकारियों तथा राज्यस्तरीय प्रभारी अधिकारियों को नामित किया गया।
- नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता में एक अधिकृत समिति को योजनाओं में अभिसरण सुनिश्चित करने एवं प्रभारी अधिकारियों द्वारा लाए गए विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने हेतु अधिसूचित किया गया है।
- नीति आयोग ने ज़िलों के लिये डेल्टा रैंकिंग जारी की। रैंकिंग का उद्देश्य ज़िलों में गतिशील टीमों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना उत्पन्न करना है।

यूएनडीपी के 2022 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत 191 देशों में से 132 स्थान पर है जिसमें अंतर-राज्य एवं अंतर-ज़िलो स्तर पर अधिक मात्रा में असमानता है। अत: ज़िलों के महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिणाम प्राप्त करने में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है। उन्हें ऊपर उठाकर भारत मानव विकास सूचकांक में आगे बढ़ सकता है, जो परिवर्तनकारी शासन के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

प्रश्न: भारत में महिलाओं के आंदोलनों ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

'Women's movement in India has not addressed the issues of women of lower social strata.' Substantiate your view.

उत्तर: भारत में महिला आंदोलन जनवादी आंदोलन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है जिसने लैंगिक समानता लाने तथा भेदभावपूर्ण प्रयासों को चुनौती देने एवं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु महत्त्वपूर्ण भमिका निभाई। हालाँकि यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि महिला आंदोलनों ने निचले सामाजिक स्तर से संबंधित महिलाओं की समस्याओं एवं मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है।

- भारत में महिला आंदोलन प्रारंभ में उच्चवर्गीय महिलाओं को ही ध्यान में रखकर चलाए गए थे। उदाहरणत: 1927 में गठित ऑल इंडिया वूमेंस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने उच्चवर्गीय महिलाओं के हितों की वकालत हेतु कार्य किया। इसने हिंदू पर्सनल लॉ को बदलने की मांग तो उठाई, किंतु अल्पसंख्यक, दलित एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं की समस्याओं को नहीं उठाया।

- ऐतिहासिक रूप से उच्च वर्ग एवं जाति की महिलाओं के वर्चस्व वाले महिला आंदोलन हाशिये की महिलाओं के सम्मुख आने वाली चुनौतियों तथा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्णत: समझ नहीं सके, जिससे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ।
- महिला आंदोलन में प्रमुख विमर्श शिक्षा, रोज़गार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित रहते हुए उदार नारीवाद के ढाँचे के भीतर लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित रहा।
- निचले सामाजिक स्तर से संबंधित महिलाओं के अनुभव एवं चुनौतियाँ उनके समुदायों के सांस्कृतिक मानदंडों, प्रयासों व पितृसत्तात्मकता से गहराई से जुड़ी हुई है। उसे समझने हेतु मुख्यधारा का नारीवादी आंदोलन पिछड़ गया, इसी कारण इस पर उच्च वर्गीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आरोप लगता है।
- भारत में महिला आंदोलन निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के बहुआयामी शोषण, जो जाति, लिंग एवं वर्ग से प्रेरित होता है, को उद्घाटित नहीं कर पाता।

उपर्युक्त आधारों पर प्रश्नोल्लिखित कथन प्रामाणिक प्रतीत होता है, किंतु भारतीय महिलावादी आंदोलन का दूसरा पक्ष समाजवादी, गैर-ब्राह्मणवादी तथा क्रांतिकारी प्रवृत्ति का भी रहा है।

इसके तहत बिहार में 'नारी मुक्ति संघ' तथा 'नारी मुक्ति संघर्ष समिति' एवं दंडकारण्य में क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन का गठन किया गया। इन आंदोलनों ने आदिवासी, गरीब, खेतिहर मज़दूर महिलाओं को सामंती एवं यौन शोषण के विरुद्ध लामबंद किया। किंतु इन्हें न तो अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व मिला, न ही इनका प्रचार किया।

अत: भारतीय महिला आंदोलन में समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है, जिससे एक अधिक न्यायसंगत व समावेशी समाज की स्थापना की जा सके।

प्रश्न: आमतौर पर कहा जाता है वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएँ सुदृढ़ हो गई हैं। सुस्पष्ट कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Globalization is generally said to promote cultural homogenization but due to this cultural specificities appear to be strengthened in the Indian Society. Elucidate.

उत्तर: वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएँ, समाज व संस्कृतियाँ व्यापार, संचार, प्रवासन और परिवहन के माध्यम से एकीकृत हो जाती हैं। 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाने के बाद से भारत में वैश्वीकरण की गति तीव्र हो गई है।

- वैश्वीकरण न भारतीय समाज के लगभग हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है, जैसे– भाषा, भोजन, कपड़े आदि। इससे समाज कई मामलों में समांगीकरण की ओर अग्रसर है।
- संस्कृति के 'ग्लोबलाइज़ेशन' की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। 'ग्लोइबलाइज़ेशन' स्थानीय संस्कृति के साथ विश्व के मिश्रण को सदर्भित करता है।
- व्यक्तिवाद के उदारवादी विचार भारतीय समाज में व्याप्त हो रहे हैं। इससे संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार, लिव-इन संबंधों में वृद्धि हो रही है।
- वेलेंटाइन डे, मदर्स डे का उत्सव, पिज्जा, बर्गर, इंडी पॉप आदि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के समांगीकरण के प्रभाव को दर्शाते हैं। किंतु वैश्वीकरण केवल समांगीकरण से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह भारत में सांस्कृतिक विशिष्टताओं को भी सुदृढ़ कर रहा है।
- आबादी का एक बड़ा वर्ग वैश्वीकरण के दखल से असुरक्षित महसूस करता है तथा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं प्रथाओं को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है।
- SPIC एवं MACAY जैसे संगठनों के प्रयासों से हाल के वर्षों में भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य को बढ़ावा मिला है।
- कुछ जनजातीय समूहों द्वारा स्थानीय रिवाज़ों व त्योहारों को पहले की तुलना में अधिक उत्साह से मनाया जा रहा है। उदाहरण- मणिपुर का हॉर्नबिल फेस्टिवल।
- भारतीय संस्कृति ने भी अपना प्रभाव वैश्विक स्तर पर फैलाया है। योग, आयुर्वेद आदि का न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अभ्यास किया जा रहा है।
- चिकित्सा व उपचार की पश्चिमी प्रणाली की कमियों की पृष्ठभूमि में आयुर्वेद भारतीय प्रणाली को समाज के बड़े वर्ग द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

उदाहरण– भारत के मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग द्वारा 'पतंजलि' उत्पादों का अत्यधिक उपयोग।

- भारत का बड़ा एवं विविधतापूर्ण डायस्पोरा आज भी अपनी मूल सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहा है। इस दिशा में 'भारतीय प्रवासी दिवस' जैसे प्रयास भी हुए हैं।

अत: वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक समांगीकरण का ही नेतृत्व नहीं किया है बल्कि पारंपरिक मूल्यों, वैश्विक संस्कृति के स्थानीय अनुकूलन तथा पश्चिमीकरण के प्रतिरोध को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक विशिष्टताओं को भी मज़बूत किया है। हालाँकि वैश्वीकरण के समक्ष सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने की चुनौतियाँ हैं, लेकिन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता के भलीभाँति फलने-फूलने की संभावनाएँ भी विद्यमान हैं।

2017

प्रश्न: भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिये उदाहरणों सहित कारण बताइये। (150 शब्द, 10 अंक)

In the context of the diversity of India, can it be said that the regions form cultural units rather than the States? Give reasons with examples for your viewpoint.

उत्तर: भारत में प्राचीनकाल से ही न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा भाषायी विविधता विद्यमान रही है। स्वतंत्रता के

पश्चात् हमारे राष्ट्र-निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या इसी बात की थी कि वे किस प्रकार इन विविधताओं को संरक्षित करते हुए राज्यों के रूप में नई इकाइयों का निर्माण करें।

वर्तमान में भारत में 29 राज्य हैं और इन राज्यों के गठन में यहाँ के निवासियों की भाषायी एकरूपता और सांस्कृतिक मान्यताओं का भी ध्यान रखा गया, जैसे- गुजरातीभाषियों के लिये गुजरात, मराठीभाषियों के लिये महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तमिल, कन्नड़ तथा तेलुगु लोगों के लिये तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का गठन आदि। इसके बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों से नई इकाइयों या राज्यों के निर्माण की मांग अभी भी बनी हुई है। यह दर्शाता है कि भारत में अभी भी 'राज्य' (States) सांस्कृतिक इकाइयों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

आज भी देश में बुंदेलखंड, दंडकारण्य, वृहत्तर नगालैंड तथा विदर्भ जैसे क्षेत्र मौजूद हैं जो सांस्कृतिक इकाइयों को कहीं अधिक आकार देते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ दो राज्यों उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के हिस्से सम्मिलित हैं, वहीं दंडकारण्य जैसे क्षेत्र में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं।

इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में वर्तमान 'राज्यों' के अलावा भी अनेक क्षेत्र या प्रदेश हैं जो सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ऐसा होना स्वाभाविक भी है।

प्रश्न: स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the two major legal initiatives by the State since Independence, addressing discrimination against Scheduled Tribes (STs)?

उत्तर: अनुसूचित जनजातियाँ, जिन्हें परंपरागत रूप से आदिवासी नाम से जाना जाता है, वस्तुत: ऐसे समुदाय हैं जो सामान्यत: समाज की मुख्यधारा से अलग जंगलों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते रहे हैं। अंग्रेज़ों के आगमन से जंगलों का वाणिज्यिक दोहन प्रारंभ हुआ तो आदिवासियों को उनके आवास से बलपूर्वक बाहर करने की कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त महाजनों और दिकुओं के प्रवेश ने भी उनकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया।

अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये भारत सरकार ने कई विधिक कदम उठाए हैं जिनमें दो कानूनों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989; पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार (पेसा) अधिनियम का उल्लेखनीय महत्त्व है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है और पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है।

पेसा अधिनियम, 1996 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिये उनकी परंपराओं व प्रथाओं का संरक्षण करने के लिये उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किये गए हैं। साथ ही, उन्हें आपसी विवादों को ग्राम सभा के माध्यम से सुलझाने का अधिकार दिया गया है ताकि वे बाह्य संस्कृति के आक्रमण से बच सकें।

निश्चय ही उपरोक्त दोनों कानूनी पहलें अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये शक्तिशाली उपकरण हैं।

प्रश्न: सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

The spirit of tolerance and love is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at the present. Elaborate.

उत्तर: प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज में सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता तथा भिन्नताएँ विद्यमान रही हैं, किंतु इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज में प्रारंभ से ही एकता स्थापित रही है। ऐसा भारतीय समाज में सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना के उपस्थित होने के कारण ही संभव हो पाया है।

गौरतलब है कि अति प्राचीन काल में स्थापित वैदिक धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्मों, विभिन्न संप्रदायों तथा प्राचीन भारतीय दर्शन में सहिष्णुता एक आवश्यक अभिलक्षण के रूप में विद्यमान रही है। प्राचीनकाल में अशोक जैसे शासकों ने भी जनता को एक-दूसरे के धर्मों को सम्मान देने का आग्रह किया और आपस में प्रेमपूर्वक रहने की सलाह दी। मध्यकाल में भक्ति और सूफी संतों ने भी सहिष्णुता और प्रेम भाव का उपदेश दिया। यही नहीं, मुगल शासक अकबर ने भी 'सुलह-ए-कुल' की नीति का पालन किया और उसके काल में धार्मिक और सामाजिक सहिष्णुता के सिद्धांत रचे गए।

स्वतंत्रता संघर्ष के समय सभी धर्मों तथा क्षेत्रों के लोगों ने समान रूप से एक साथ मिल-जुलकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। वर्तमान में भी भारत में सभी धर्मों और सांस्कृतिक मान्यताओं के लोग सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारे, शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं, जिसके कारण भारत आज भी विश्व में 'अनेकता में एकता' के अद्वितीय गुण के लिये जाना जाता है और इसी गुण ने भारत की एकता और अखंडता को अभी तक अक्षुण्ण बनाए रखा है। वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों में नस्लीय हिंसा, पश्चिम एशिया के देशों में एकल धर्म होने के बावजूद उत्पन्न संघर्ष और अशांति इस बात के उदाहरण हैं कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में सहिष्णुता और प्रेम भावना भारत की तुलना में कम है। भारत आज भी शरणार्थियों और पीड़ितों की आगे बढ़कर सहायता कर रहा है।

हालाँकि, गत वर्षों में देश में उत्पन्न हुए कुछ सांप्रदायिक तनावों, उत्तर-पूर्व के लोगों के साथ दुर्व्यवहार, भीड़ द्वारा हिंसा आदि की घटनाओं ने भारतीय समाज के सहिष्णुता और प्रेम के आदर्श को आहत करने का प्रयास अवश्य किया है, किंतु भारतीय संविधान और कानून इन सभी से निपटने में सक्षम साबित हुए हैं।

प्रश्न: स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Distinguish between religiousnessèkreligiosity and communalism giving one example of how the former has got transformed into the latter in independent India.

उत्तर: धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता दोनों ही धर्म से जुड़े व्यवहार की ओर इंगित करते हैं, परंतु धर्म से दोनों का संबंध बिल्कुल अलग प्रकृति का है। धार्मिकता व सांप्रदायिकता के मध्य अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- किसी धर्म विशेष के नियमों तथा मानदंडों का अंतर्मन से पालन करना तथा उसके आदर्शों को अपने जीवन-व्यवहार में शामिल करना धार्मिकता है, वहीं किसी धर्म विशेष के मानदंडों का पालन करते समय अन्य समुदायों को निकृष्ट व शत्रु तुल्य समझना सांप्रदायिकता है।
- एक विचारधारा के रूप में धार्मिकता अहिंसा, सामूहिक अस्तित्व, भाईचारा, प्रेम, करुणा आदि का समर्थन करती है, जबकि विचारधारा के रूप में सांप्रदायिकता नस्लवाद तथा फासीवाद से मिलती-जुलती है।
- धार्मिकता विशुद्ध रूप से मूल धार्मिक सिद्धांतों द्वारा प्रेरित होती है जबकि सांप्रदायिकता धर्म की बजाय राजनीति से अधिक प्रेरित होती है।
- धार्मिकता संपूर्ण मानव समाज के एकीकरण की बात करती है, वहीं सांप्रदायिकता समुदाय विशेष के हित को ही सर्वोपरि मानकर सामाजिक विघटन का कारण बनती है।
- धार्मिकता की चरम स्थिति सर्वधर्म समभाव, वैश्विक शांति, मानव-मात्र का कल्याण है, वहीं सांप्रदायिकता की चरम परिणति हिंसा, नर-संहार व दंगों के रूप में दिखाई पड़ती है।

विभाजन और उसके साथ हुए दंगों के बावजूद भारतीय जनता ने धर्मनिरपेक्षता को मूलभूत जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार किया तथा संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में प्रतिष्ठित किया।

स्वतंत्र भारत में कई ऐसे धार्मिक मुद्दे रहे हैं, जो धीरे-धीरे सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ते गए। उदाहरण के लिये, अयोध्या में रामजन्म-भूमि का मुद्दा प्रकृति से तो पूर्णत: धार्मिक नज़र आता है, परंतु बाबरी-विध्वंस के बाद लंबे समय से दो संप्रदायों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये ध्रुवीकरण के माध्यम से अब तक इस मुद्दे का बखूबी लाभ उठाया है।

प्रश्न: "सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोज़गार के नए मार्ग खोल दिये हैं, परंतु साथ में नई समस्याएँ भी पैदा कर दी हैं?" उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि करें।

(250 शब्द, 15 अंक)

"The growth of cities as IT hubs has opened up new avenues employment but has also created new problems." Substantiate this statement with examples.

उत्तर: सूचना तकनीक के प्रसार ने भारत में पुणे, बंगलुरू, हैदराबाद, गुड़गाँव (गुरुग्राम) तथा नोएडा जैसे शहरों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये शहर आज देश के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुके हैं। समूचे देश से आईटी में शिक्षित-प्रशिक्षित युवा आज इन नगरों की तरफ रुख कर रहे हैं।

ये नगर न केवल इन तकनीकी पेशेवरों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के केंद्र बन गए हैं, बल्कि गैर-पेशेवर, निर्धन लोगों को भी आजीविका उपलब्ध करवा रहे हैं। जब देश के विभिन्न भागों से कामगारों की भीड़ इन शहरों में आती है, तो ये लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये कई अन्य लोगों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे– घरेलू नौकर, सिक्योरिटी गार्ड, सब्ज़ी विक्रेता आदि।

अत: स्पष्ट है कि जब एक शहर रोज़गार का केंद्र बनता है तो वह समाज के लगभग प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को रोज़गार मुहैया करवाने में सहायता करता है।

इन शहरों में जन्म ले रही समस्याओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- कार्यबल के रूप में शामिल होने वाले लोगों के कारण इन शहरों की जनसांख्यिकी लगातार परिवर्तित हो रही है। लगातार बढ़ती आबादी नगरीय निकायों पर मूलभूत सुविधाओं, जैसे- आवास, जल, परिवहन आदि की आपूर्ति का दबाव बना रही है।
- बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में स्कूल व अस्पतालों की कमी के कारण स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।
- मांग की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम होने के चलते इन शहरों में 'कॉस्ट ऑफ लिविंग' अधिक है। गरीब व कम आय वाले तबके के लिये इन शहरों में वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति दुष्कर हो गई है।
- यातायात के साधनों, जैसे ऑटो-रिक्शा, सिटी बस, कार एवं दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है।
- सभी लोगों के लिये स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी एक चुनौती बनकर उभरी है।
- आईटी कंपनियों की कार्य-प्रणाली में कंप्यूटर एक बुनियादी अवयव है, अत: ये शहर आज साइबर कचरे (कंप्यूटर उत्पादों का कचरा) के निपटान की समस्या से भी जूझ रहे हैं।

स्मार्ट सिटी कार्यक्रम जैसे कदमों की सफलता ही भारत के इन शहरों की समस्या सुलझा सकती है। इन शहरों की समस्याओं का निपटारा नीति-निर्माताओं की प्राथमिकता होनी चाहिये, क्योंकि ये शहर देश की बड़ी आबादी को रोज़गार प्रदान करते हैं।

2016

प्रश्न: वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक (कोर/मर्म) को किस सीमा तक प्रभावित किया है? स्पष्ट कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

To what extent globalization has influenced the core of cultural diversity in India? Explain.

उत्तर: वैश्वीकरण का तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं, सूचना, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के माध्यम से देशों और उनकी

अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती परस्पर निर्भरता से है। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज की विविधता और बहुलवाद को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है। इसने संस्कृतियों, विचारों और मूल्यों की परस्पर क्रिया को जन्म दिया है, जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों परिणाम सामने आए हैं।

वैश्वीकरण का सांस्कृतिक विविधता के मूल पर प्रभाव

- भाषायी विविधता की यदि बात की जाए तो अंग्रेज़ी मुख्य भाषा हो गई है जो क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाओं पर हावी है, किंतु इसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इसने भारतीयों को अर्थव्यवस्था में अच्छा प्रदर्शन करने के लिये प्रेरित किया।
- जाति के संदर्भ में वैश्वीकरण ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया है उदाहरणस्वरूप बढ़ते अंतर्जातीय विवाह के मामलों को देखा जा सकता है।
- वैश्वीकरण ने पितृसत्तात्मक मानसिकता पर प्रहार कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है, उदाहरण-वर्तमान समय में दहेज़ और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में महिलाएँ आवाज़ उठा रही हैं।
- वैश्वीकरण के फलस्वरूप धर्म आधारित संघर्ष और अंधविश्वासों में कमी आई, किंतु कुछ धर्मों का ध्रुवीकरण भी हुआ है।

वैश्वीकरण ने भारत में विविधता को कैसे कम किया है?

- भारत के परंपरागत पहनावे, कुरता-पाजामा, धोती, लुंगी की जगह जींस और टी-शर्ट ने ले ली।
- भारत के उत्तर (दाल-चावल), दक्षिण (इडली-सांभर) की जगह अब पिज्ज़ा, बर्गर और नूडल्स ने ले ली है।
- परंपरागत लोकगीतों व नृत्यों की जगह बॉलीवुड और हॉलीवुड के नृत्यों और गीतों ने ले ली है।
- गाँवों से शहर की तरफ लोगों का पलायन हुआ है।
- संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ है।
- उपभोक्तावाद एवं बाज़ार शक्तियों ने क्षेत्रीय त्योहारों की जगह वेलेंटाइन डे, न्यू ईअर इत्यादि को त्योहारों के रूप में स्थापित किया है, हालाँकि इसी क्रम में दीपावली जैसे भारतीय त्योहार विदेशों तक में भारतीय जनसमूह द्वारा मनाए जाने लगे।
- अत: भारतीय सांस्कृतिक विविधता को वैश्वीकरण की शक्तियों ने गहरे स्तर तक प्रभावित किया। भारतीय त्योहार, पहनावा, खान-पान, नृत्य संगीत की विविधता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, लेकिन इसके साथ यह भी सत्य है कि भारतीय संस्कृति ने वैश्विक संस्कृति के साथ जुड़कर कुछ नए सांस्कृतिक रूपों का निर्माण किया है।

प्रश्न: "गरीबी उन्मूलन की अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रकम से विमुक्त कर देना है।" उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

"An essential condition to eradicate poverty is to liberate the poor from the process of deprivation." Substantiate this statement with suitable examples.

उत्तर : गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिये बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल हैं– भोजन, वस्त्र और घर आदि।

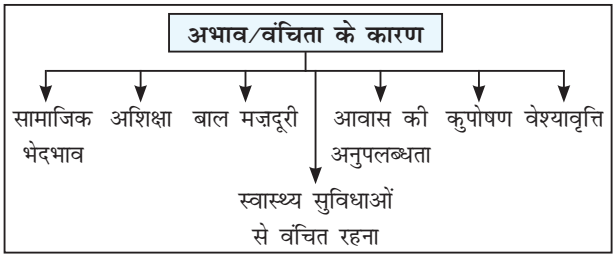

गरीबी उन्मूलन के लिये गरीबों को वंचितता से विमुक्त करने के लिये किये जा रहे प्रयास

- निम्न वर्गों के उत्थान के लिये संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जैसे– 15, 16, 17 इत्यादि में वर्ग-विभेद का निषेध किया गया है।
- सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत कार्यक्रम आदि को चलाया गया है, किंतु इसके बेहतर क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिये।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे-मिल जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- आजीविका बनाए रखने के लिये कौशल की आवश्यकता है, जिसके लिये सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- मनरेगा जैसे कार्यक्रम द्वारा सौ दिनों के रोज़गार को सुनिश्चित करना।
- गैर-सरकारी माध्यमों में स्वयं सहायता समूह, अमूल जैसी संस्थाओं को देखा जा सकता है।

अत: स्पष्ट है कि गरीबी को जड़ से तब तक नहीं मिटाया जा सकता, जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इत्यादि वंचनाओं को दूर नहीं कर दिया जाए। इसलिये उपर्युक्त कारकों के सम्मिलित प्रभाव से गरीबों को वंचितता के प्रकम से विमुक्त कर देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह तभी सफल होगा, जब इसका सफल क्रियान्वयन उचित रणनीति के माध्यम से किया जाएगा।

प्रश्न: भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट नगर कार्यक्रम' के उद्देश्य और रणनीति बताइये। (200 शब्द, 12½ अंक)

With a brief background of quality of urban life in India, introduce the objectives and strategy of the 'Smart City Programme.'

उत्तर : भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 32 प्रतिशत भाग शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 63 प्रतिशत का योगदान है, किंतु पिछले कुछ दशकों में शहरी जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है। शहरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जीवन की गुणवत्ता के मुख्य संकेतक पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों की उपलब्धता

सीवेज उपचार तथा ठोस अपशिष्टों के निस्तारण आदि के मामलों में भारतीय शहर पिछड़ रहे हैं।

ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 प्रतिशत हो जाएगी और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 70 प्रतिशत का होगा। इसके लिये सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, निवेश को आकर्षित करने तथा विकास एवं प्रगति की स्थापना करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।

स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य

स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को शक्ति देने, प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिये बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभिनव और नई पहल है। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें तथा एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण एवं 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग का मौका दें। स्मार्ट नगर कार्यक्रम का विशेष ध्यान स्थायी और समावेशी विकास पर है, साथ ही एक ऐसा रेप्लिकेबल मॉडल बनाने पर भी है जो अन्य शहरों के लिये प्रकाश पुंज का कार्य करेगा।

स्मार्ट नगर कार्यक्रम की रणनीति

क्षेत्र आधारित विकास

इसके रणनीतिक घटक में नगर सुधार (पुनः संयोजन), शहर का नवीकरण (पुनर्विकास) और शहर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) शामिल हैं।

- **पुनः संयोजन (रेट्रोफिटिंग):** इसके अंतर्गत पूर्व निर्मित क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी के उद्देश्य को सफल बनाने तथा इन क्षेत्रों को और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये योजनाएँ बनाई जाएंगी। इसमें नागरिकों के साथ विचार-विमर्श करके शहर के 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र की पहचान कर, वहाँ मौजूद अवसंरचना पर शहरों को स्मार्ट बनाने की कार्यनीति बनाई जाएगी। उदाहरण- लोकल एरिया डेवलपमेंट (अहमदाबाद)।
- **पुनर्विकास:** पुनर्विकास में मौजूदा निर्मित पर्यावरण का प्रतिस्थापन सम्मिलित होगा, साथ ही मिश्रित भू-उपयोग एवं वर्द्धित घनत्व का उपयोग करते हुए संवर्द्धित अवसंरचना वाले नए विन्यास का सह-सृजन होगा। पुनर्विकास में नागरिकों के परामर्श से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पहचाने गए 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर गौर किया जाएगा।
- **हरित क्षेत्र विकास (ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट):** इसके अंतर्गत पूर्व में खाली पड़े क्षेत्र (250 एकड़ से अधिक) में अधिकांश स्मार्ट समाधान लागू होंगे। इसमें गरीबों के लिये हाउसिंग के प्रावधान सहित नवप्रवर्तनकारी नियोजन, आयोजनागत वित्त पोषण और कार्यक्रम क्रियान्वयन के साधनों का उपयोग किया जाएगा। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये शहरों के इर्द-गिर्द हरित क्षेत्र विकास अपेक्षित है। उदाहरण– गुजरात में गिफ्ट सिटी का विकास।

पैन सिटी विकास

पैन सिटी विकास के अंतर्गत शहर की मौजूदा अवसंरचना में चुनिंदा स्मार्ट समाधानों के प्रयोग की परिकल्पना है। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग में अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये तकनीक, सूचना और आँकड़ों का उपयोग शामिल होगा। उदाहरण के लिये अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और स्मार्ट मीटरिंग, जिससे शहरों में बेहतर जल प्रबंधन हो सकेगा।

इस तरह स्मार्ट सिटी कार्यक्रम स्मार्ट समाधान और हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

प्रश्न: क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये।
(200 शब्द, 12½ अंक)

Why are the tribals in India referred to as the 'Scheduled Tribes'? Indicate the major provisions enshrined in the Constitution of India for their upliftment.

उत्तर: जनजाति भारत में निवास करने वाले वे सर्वाधिक पुराने समूह हैं जो आमतौर पर समाज की मुख्य धारा से कटे रहते हैं तथा जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान, भाषा, संस्कृति और रीति-रिवाज हैं।

स्वतंत्रता पश्चात् यह महसूस किया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अति पिछड़े वंचित समूहों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये विशेष प्रयास किया जाना ज़रूरी है। इस कारण भारतीय संविधान में जनजातियों के लिये 'अनुसूचित जनजाति' शब्द को शामिल किया गया, जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत चिह्नित (सूचीबद्ध) किया गया है। इन जनजातियों को संविधान में सूचीबद्ध किये जाने के कारण ही इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा जाता है।

भारतीय संविधान में जनजातियों के उत्थान तथा समाज के अन्य वर्गों द्वारा उनके उत्पीड़न से बचाने के लिये जनजातियों संबंधी विशेष प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के द्वारा जनजातियों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उत्थान की दिशा में प्रयास किये गए हैं। इन प्रावधानों को विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान में वर्णित किया गया है, जो निम्न हैं-

- **अनुच्छेद 15(4):** राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये विशेष उपबंध करेगा।
- **अनुच्छेद 16(4):** इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य लोकनियोजनों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 29:** इसके अनुसार भारत में रहने वाले नागरिक जिनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें संरक्षण का अधिकार होगा।

- **अनुच्छेद 46 :** राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा।
- **अनुच्छेद 164(1) :** यह प्रावधान करता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिये विशेष मंत्री होंगे।
- **अनुच्छेद 244** के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 275** संसद को यह अधिकार देता है कि वह वैसे राज्य जो अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाने के लिये विकास योजनाएँ चला रहे हैं, उन्हें विशेष अनुदान प्रदान करें।
- **अनुच्छेद 243(D), 330 तथा 332** क्रमशः पंचायतों, लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण संबंधी प्रावधान करते हैं।

इन सबके अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान भी हैं। संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त 89वें संविधान संशोधन, 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338(1) जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्य कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।

प्रश्न: प्रादेशिकता का क्या आधार है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ, जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर को पुष्ट कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

What is the basis of regionalism? Is it that unequal distribution of benefits of development on regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer.

उत्तर : प्रादेशिकता की भावना में एक राज्य अथवा क्षेत्र के हितों को पूरे देश अथवा दूसरे क्षेत्रों या राज्यों के विरुद्ध पेश करने की कोशिश की जाती है और ऐसे तथाकथित हितों के आधार पर संघर्ष को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। यह भावना तब विकसित होती है जब किसी क्षेत्र या राज्य को यह महसूस होता है कि उसके ऊपर सांस्कृतिक वर्चस्व या भेदभाव आरोपित करने की कोशिश की जा रही है।

स्वतंत्रता के प्रारंभ से ही प्रादेशिकता की भावना का उदय होने लगा। प्रारंभ के दशकों में भाषा के आधार पर अलग प्रदेश या क्षेत्र की मांग की गई और इस प्रकार 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। फिर 1956 में राज्य-पुनर्गठन आयोग द्वारा तेलंगाना को इसमें सम्मिलित कर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1960 में बंबई और गुजरात के अलग-अलग प्रदेश बनने के पीछे भी भाषायी भिन्नता को प्रमुख कारक माना गया। 1970 और 80 के दशक में उत्तर-पूर्व के राज्यों में क्षेत्रवाद की भावना के उदय में नृजातीय व सांस्कृतिक विभेद ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसी तरह वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड के गठन में जनजातीय एवं सांस्कृतिक कारक प्रमुख थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् से ही प्रादेशिकता की भावनाओं के उदय के मूल में असमान आर्थिक विकास प्रमुख कारण रहा है। धर्म, नृजातीयता के आधार पर भी जिस प्रादेशिकता की भावना का उदय हुआ, उसके पीछे भी आर्थिक कारण ही प्रमुख थे। अपनी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग का उद्देश्य वस्तुतः मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम से सरकारी नौकारियों में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करना था।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने आर्थिक विषमताओं की समस्या को गंभीरता से लिया तथा इसको दूर करने के लिये कई कदम उठाए। उदाहरण के लिये, 1956 की औद्योगिक नीति में प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित और समन्वित औद्योगिक विकास और कृषक अर्थव्यवस्था की उन्नति की बात कही गई। आरंभ से ही केंद्रीय सरकार द्वारा गरीब राज्यों और क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू किया गया तथा गरीब राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण किया गया। इस कार्य में वित्त आयोग की भूमिका प्रशंसनीय है। आगे इस असमानता को दूर करने के लिये नियोजन, सार्वजनिक उद्योगों का प्रसार, निजी क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद पिछड़े क्षेत्रों में शाखाओं के विस्तार को प्रोत्साहन तथा अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए।

इन सुधारों के बावजूद देश के कुछ क्षेत्र अथवा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हुए तो कुछ राज्य तेज़ विकास दर को नहीं अपना सके, जिससे उन पिछड़े क्षेत्रों के वंचित वर्गों को अपनी उपेक्षा किये जाने का भय हुआ, जिससे प्रादेशिकता को बढ़ावा मिला। इसी आर्थिक असमानता का एक प्रभाव हम भारत में तेलंगाना राज्य के निर्माण के रूप में देखते हैं जो 1955 से यह मानता आ रहा था कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके हितों (आर्थिक) की अनदेखी की जा रही है। इस क्रम में अलग बोडोलैंड (असम से अलग), गुजरात से अलग सौराष्ट्र, महाराष्ट्र से अलग विदर्भ आदि की मांग को हम देखते हैं।

अतः प्रादेशिकता की भावना को बढ़ावा देने में धार्मिक, भाषायी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नृजातीय इत्यादि कई कारक ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इन सब कारकों को असमान आर्थिक विकास के द्वारा ही बल मिलता है।

प्रश्न: भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Major cities of India are becoming more vulnerable to flood conditions. Discuss.

उत्तर : किसी भी देश के आर्थिक विकास में उसके शहरों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के शहर भी इस स्थिति के अपवाद नहीं हैं। इधर हाल के वर्षों में कई भारतीय शहरों, जैसे–चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर को बाढ़ का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते व्यापक रूप से जन-धन की हानि हुई है।

भारतीय शहरों में बाढ़ के कारणों में प्रकृति के साथ-साथ मानवीय क्रियाकलाप भी दोषी हैं। निम्नांकित बिंदुओं में हम इन कारणों को समझ सकते हैं–

- भारत में शहरों का अनियोजित तरीके से विकास हो रहा है। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये

आवासीय संरचनाओं एवं परिवहन प्रणाली को तो उन्नत किया जा रहा है, लेकिन इस बढ़ती जनसंख्या के बोझ के अनुरूप जल निकास प्रणाली को उन्नत नहीं किया जा रहा है।

- शहरों के कचरे के प्रबंधन का अभाव भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। शहरों में झीलें एवं तालाब बाढ़ अवशोषक का कार्य करते हैं। कचरा इन जल निकायों को खत्म कर देता है। इसके अलावा यह शहरों की जल निकास प्रणाली को भी अवरुद्ध कर देता है।
- शहरों के वेटलैंड क्षेत्र अनियोजित शहरी विकास के कारण अवरुद्ध होते जा रहे हैं। ये क्षेत्र बाढ़ के जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। इसी तरह नदी के जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) में भी मानवीय बस्तियों का निर्माण नदी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करता है। इससे शहरों में बाढ़ आती है, जैसे- कश्मीर में झेलम के तट पर मानवीय बस्तियों का निर्माण।
- शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण वहाँ का हरित क्षेत्र कम होता जा रहा है। हरित क्षेत्र जल के अवशोषक का कार्य करते हैं। हरित क्षेत्र की जगह बनी पक्की संरचनाएँ जहाँ एक ओर जल को भूमि के अंदर तक जाने से रोकती हैं, वहीं दूसरी ओर सतह में जल के प्रवाह को भी तेज़ कर देती हैं।

शहरों को बाढ़ की दशाओं से बचाव के लिये निम्न उपायों को अमल में लाया जा सकता है–

- शहरों में जल निकास प्रणाली को उन्नत किया जाए। शहरी विस्तार के साथ जल निकास प्रणाली का भी विस्तार किया जाए।
- कचरे का उचित प्रबंधन हो जिससे यह जल निकास प्रणाली को अवरुद्ध एवं शहरों के वेटलैंड क्षेत्र को प्रदूषित न करे।
- शहरों के वेटलैंड क्षेत्र के संरक्षण के लिये कानूनी प्रावधान हो।
- शहरों के लिये विकास योजना बनाते समय जल चक्र के मूलभूत नियमों को भी ध्यान में रखा जाए।

शहरों में बाढ़ की गंभीरता के कारणों में प्राकृतिक के साथ-साथ मानवीय क्रियाकलाप भी ज़िम्मेदार हैं, जिनको उचित नगर नियोजन, बाढ़ से निपटने की रणनीति के साथ-साथ जन सहयोग व जागरूकता से रोका जा सकता है।

2015

प्रश्न: समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है? (200 शब्द, 12½ अंक)

Critically examine whether growing population is the cause of poverty or poverty is the main cause of population increase in India.

उत्तर : ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत नामक निबंध में जनसंख्या एवं निर्धनता के मध्य कारण-प्रभाव संबंध स्थापित कर बताया कि ये दोनों काफी गहनता से परस्पर जुड़े हुए हैं। क्या जनसंख्या निर्धनता का कारण है?

- जनसंख्या वृद्धि के कारण पारिवारिक खर्च में वृद्धि
- जनसंख्या वृद्धि से बेरोज़गारी बढ़ती है, जिससे परिवार गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाता है।
- जनसंख्या वृद्धि तथा घटते संसाधनों के कारण कीमतों में वृद्धि
- जनसंख्या वृद्धि से निर्भरता अनुपात अधिक (उदाहरण– बच्चे एवं वृद्ध) होने से निर्धनता में वृद्धि।

क्या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है?

- गरीबी जनसंख्या की गतिशीलता, जैसे-जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना तथा ग्रामीण-शहरी वितरण को प्रभावित करती है।
- निर्धनों में पारिवारिक सदस्यों की अधिक संख्या को अधिक आय अर्जन का स्रोत समझा जाता है।
- निर्धनता शिक्षा सुविधा तक लोगों की पहुँच सीमित कर देती है, जिस कारण वे परिवार नियोजन साधनों से अनभिज्ञ रहते हैं।
- निर्धनों में पारिवारिक निर्भरता कम करने हेतु बाल विवाह की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे प्रजनन काल में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि।

भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश जैसे अधिक जनघनत्व एवं जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में निर्धनता का प्रतिशत अधिक है, जबकि केरल जैसे अधिक जनघनत्व वाले राज्य में शिक्षा के उचित प्रसार से ऐसी स्थिति नहीं है।

अंततः यह कहा जा सकता है गरीबी एवं जनसंख्या वृद्धि में सह-अस्तित्व पाया जाता है। अत्यधिक जनसंख्या संसाधनों पर दबाव बढ़ाकर निर्धनता को बढ़ावा देती है तथा निर्धनता जनसंख्या वृद्धि में मुख्य रूप से योगदान देती है।

प्रश्न: आप उन आँकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले, महिलाओं के अधिक अनुकूल है? (200 शब्द, 12½ अंक)

How do you explain the statistics that show that the sex ratio in Tribes in India is more favourable to women than the sex ratio among Scheduled Castes?

उत्तर : जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय लिंगानुपात (990) महिलाओं हेतु अधिक अनुकूल है जो अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात (945) तथा संपूर्ण भारत के लिंगानुपात (943) से भी अधिक है।

अनुसूचित जनजातियों के मध्य अनुकूल लिंगानुपात के कारण

- कुछ स्थानों जैसे मेघालय में प्राचीन काल से ही मातृसत्तात्मक समाज की परंपरा रही है।
- जनजातियों में महिलाओं के प्रति कोई सामाजिक पूर्वाग्रह तथा लैंगिक असमानता नहीं।
- जनजातियों में लिंग निर्धारण तथा कन्याभ्रूण हत्या जैसी कुरीतियाँ नहीं।
- जनजातियों में 'श्रम विभाजन' का पालन होता है जहाँ महिलाओं को उनके हिस्से का काम तथा स्वायत्तता दी जाती है।
- कई जनजातीय संस्कृतियों में महिलाओं की प्रजनन क्षमता को 'देवी माँ' के रूप में पूजा जाता है।
- कई जनजातीय समाजों में दहेज़ की संस्कृति नहीं बल्कि कुछ में विवाह के समय कन्या के परिवार को पैसे दिये जाते हैं।

उदाहरण– उत्तरी-पूर्वी राज्यों में

इसके विपरीत अनुसूचित जातियाँ लंबे समय से मुख्यधारा की पितृसत्तात्मक संस्कृति एवं सामाजिक मानसिकता के प्रभाव में रही है जिसके कारण इनमें लैंगिक असमानता, शिशु लिंग निर्धारण, कन्या भ्रूण हत्या एवं दहेज़ आदि कुरीतियों की उपस्थिति से लिंगानुपात महिलाओं के लिये अधिक अनुकूल नहीं है।

प्रश्न: भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Discuss the positive and negative effects of globalization on women in India.

उत्तर : वैश्वीकरण का अर्थ किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हेतु खोलना, जिससे विश्व में अंतर्संबंध बेहतर बनाया जा सके। वैश्वीकरण ने भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन कर महिलाओं को भी प्रभावित किया है।

वैश्वीकरण का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव

आर्थिक क्षेत्र
- ❑ भारत में MNC's की संख्या में वृद्धि से महिलाओं हेतु रोज़गार के अधिक अवसर उदाहरण– IT एवं BPO क्षेत्र में महिलाओं के लिये अत्यधिक अवसर
- ❑ बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विस्तार से आर्थिक वृद्धि के कारण रोज़गार सृजन अधिक
- ❑ महिलाओं को पुरुष-प्रधान क्षेत्रों व ऊँचे पदों पर कार्य के अवसर उदाहरण– चंदा कोचर, इंद्रा नूई

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
- ❑ विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बेहतर प्रदर्शन से परिवार में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव
- ❑ बालिका शिक्षा (विशेषत: शहरी क्षेत्रों में) पर भी ज़ोर
- ❑ अच्छी शिक्षा, भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से अधिक आत्मविश्वासी एवं स्वस्थ महिलाओं के विकास में मदद

सामाजिक क्षेत्र
- ❑ पितृसत्तात्मकता की चुनौती
- ❑ रोज़गार के कारण महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता की वृद्धि
- ❑ महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग
- ❑ अधिकारों के लिये आवाज़ उठाने व रक्षा हेतु यूनियन व संघ बनाना

सांस्कृतिक क्षेत्र
- ❑ एक ही जाति में विवाह करना कम महत्त्वपूर्ण हो गया है
- ❑ आर्थिक स्वतंत्रता के कारण महिलाएँ जाति की परवाह किये बिना मर्ज़ी से विवाह का निर्णय लेने में सक्षम
- ❑ महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव विशेषत: शहरी क्षेत्रों में अधिक जेंडर समानता

वैश्वीकरण का महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव

आर्थिक क्षेत्र
- ❑ कम वेतन वाली, अंशकालिक एवं शोषणकारी नौकरियों की संख्या में वृद्धि, उदाहरण- नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
- ❑ उपभोक्तावाद में वृद्धि से महिलाओं का वस्तुकरण

सामाजिक क्षेत्र
- ❑ एकल परिवारों में वृद्धि से वृद्ध महिलाओं के जीवन की दयनीय स्थिति, उदाहरण– वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि
- ❑ नौकरीपेशा महिलाओं पर नौकरी के साथ घर के कार्यों की ज़िम्मेदारी के कारण दोहरा बोझ

महिलाओं के विरुद्ध अपराध
- ❑ कार्यस्थल पर उत्पीड़न एवं शोषण में वृद्धि, उदाहरण- CJI गोगोई मामला
- ❑ आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाली महिलाओं के शोषण में वृद्धि, जैसे- यौन शोषण, तस्करी आदि
- ❑ महिलाओं की पहचान तथा शील का वस्तुकरण

सांस्कृतिक क्षेत्र
- ❑ खान-पान की आदतों एवं पहनावे की शैलियों में तीव्र बदलाव, जो हमारे विश्वासों एवं पारंपरिक मूल्यों की अनदेखी करता है।
- ❑ सुंदरता एवं आधुनिकता की गलत धारणा का प्रस्तुतीकरण

इस प्रकार भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि इसके नकारात्मक प्रभावों को न्यूनीकृत कर दिया जाए तो यह सतत् विकास के लक्ष्यों, विशेषत: 1, 5 एवं 10 को प्राप्त करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

प्रश्न: पिछले चार दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Discuss the changes in the trends of labour migration within and outside India in the last four decades.

उत्तर : अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या अपने सामान्य निवास स्थान से दूर किसी राज्य में पलायन करता है, उसे प्रवासी माना जाता है। आर्थिक विकास, आपदाएँ, अत्यंत गरीबी, सशस्त्र संघर्ष तथा कई सामाजिक व राजनीतिक कारक प्रवसन को निर्धारित करते हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत के भीतर 450 मिलियन प्रवासी तथा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय भारत के बाहर रह रहे हैं।

भारत के भीतर प्रवसन की प्रवृत्ति

- अधिकांश सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह, जैसे- एससी, एसटी, सीमित संपत्ति तथा नगण्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण निर्माण श्रमिक एवं सकुशल नौकरियों के लिये अल्पकालिक प्रवास करते हैं।
- आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् अंतर्राज्यीय प्रवसन सबसे तीव्र दर से बढ़ा। पहले श्रमिक रोज़गार की तलाश में राज्य के भीतर ही साप्ताहिक प्रवास करते थे, किंतु बढ़ती जनसंख्या आदि के कारण रोज़गार अवसरों की तलाश में राज्य के बाहर प्रवास, उदाहरण- बिहार से पंजाब में कृषि मज़दूरों का प्रवास
- पहले रोज़गार की तलाश में लोग कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आते थे किंतु अब बेहतर शिक्षा सुविधा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण बेंगलुरू, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम में प्रवसन की प्रवृत्ति अधिक
- पहले बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों से सस्ते सकुशल श्रम का विभिन्न राज्यों में प्रवास किंतु अब बढ़ते नगरीकरण से नए रोज़गार सृजन से ब्लू कॉलर नौकरियों, कैब ड्राइवर आदि के लिये बड़े नगरों में प्रवास
- परिवहन साधनों की सुलभता एवं रोज़गार विविधता के कारण दैनिक व साप्ताहिक प्रवास की प्रवृत्ति, उदाहरण- मेरठ, अलीगढ़ आदि से दिल्ली NCR में प्रवास

भारत के बाहर प्रवास की प्रवृत्ति

- 1970 के दशक में पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था में आए उछाल से मध्य पूर्व एशियाई देशों में प्रवसन में तीव्र वृद्धि। उदाहरण- विश्व बैंक के अनुसार UAE केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिये सबसे बड़ा गंतव्य
- 1990 के दशक में संचार क्रांति एवं सेवा क्षेत्र में रोज़गार अवसरों की वृद्धि से अमेरिका, कनाडा एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों में अपने क्षेत्र में अत्यधिक कुशल एवं दक्ष लोगों का प्रवसन। इसमें हुई निरंतर वृद्धि ब्रेन ड्रेन की समस्या को दर्शाती है।
- बेहतर आय एवं जीवन की गुणवत्ता हेतु भारतीय चिकित्सा पेशेवरों का अमेरिका, यूरोपीय देशों में प्रवसन
- पूर्वी एशिया में तीव्र आर्थिक विकास तथा वियतनाम, मलेशिया एवं दक्षिण कोरिया जैसे नए औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के उद्भव से इन क्षेत्रों के प्रवसन में वृद्धि

भारत सरकार द्वारा भारत के भीतर प्रवास करने वाले लोगों के लिये वन नेशन वन राशन कार्ड, किफायती किराए के आवास परिसर, ई-श्रम पोर्टल तथा भारत के बाहर प्रवासियों के लिये प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रवासी हेतु छात्रवृत्ति आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न: इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान (एसर्शन) समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं? (200 शब्द, 12½ अंक)

Debate the issue of whether and how contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste?

उत्तर : दलित जिसका अर्थ है उत्पीड़ित। इस शब्द को डॉ. अंबेडकर ने लोकप्रिय बनाया तथा इसका उपयोग शूद्र कहे जाने वाले लोगों के लिये किया। आज इसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिये किया जाता है जो किसी भी राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक शोषण एवं भेदभाव के शिकार हैं। इसके व्यापक रूप में आदिवासी भी शामिल होते हैं।

'दलित' शब्द आज एक राजनीतिक पहचान बन गया है। जिस प्रकार USA में अफ्रीकन-अमेरिकन ने स्वयं के लिये नीचता के स्थान पर ब्लैक या अफ्रीकी-अमेरिकी शब्द उपयोग किया वैसे ही दलितों का मानना है कि 'दलित' शब्द 'टूटने' से कहीं अधिक संघर्ष एवं प्राख्यान से उत्पन्न हुई एक पहचान है।

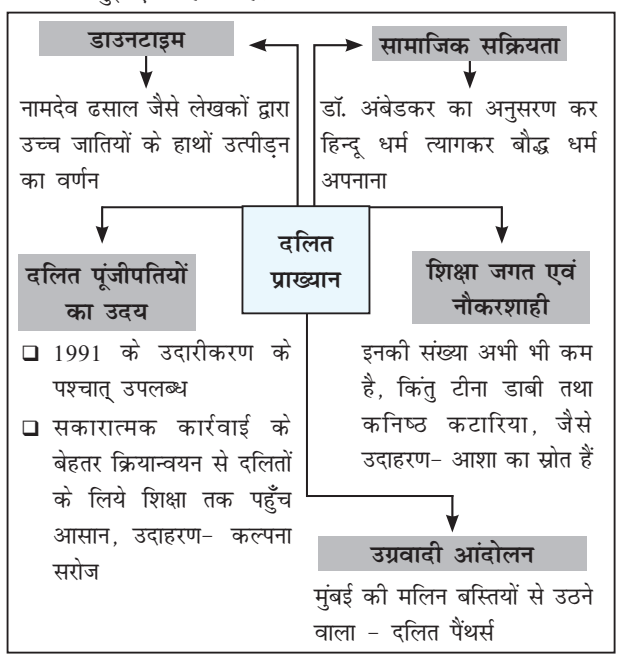

दलित पहचान सकारात्मक विभेद या कार्रवाई का भी परिणाम है, क्योंकि आरक्षण ही एकमात्र कारण है, जिसके लिये जाति की पहचान सरकार द्वारा दर्ज एवं बनाए रखी जाती है। इस जातिगत पहचान के लाभ एवं इसके रखरखाव ने कुछ हद तक जाति के विनाश को भी रोका है।

- आज जातिगत पहचान इतनी गहराई तक व्याप्त हो गई है कि भेदभाव न होने की स्थिति में भी मीडिया द्वारा पहचान उजागर की जाती है जिससे जाति व्यवस्था और सुदृढ़ होती है। उदाहरण- कार दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु पर उसकी दलित पहचान उजागर करना

अत: जाति के विनाश हेतु आवश्यक है कि समय के साथ जाति की पहचान क्षीण हो इसके लिये जातिगत पहचान से लाभ प्राप्त करने वाले राजनीतिक आंदोलनों को हतोत्साहित किया जाए। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए जो समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक होगा।

प्रश्न: भारत में विविधता के किन्हीं चार सांस्कृतिक तत्त्वों का वर्णन कीजिये और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके आपेक्षिक महत्त्व का मूल्य निर्धारण कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Describe any four cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building a national identity.

उत्तर : विविधता लोगों के मध्य सामूहिक अंतर को दर्शाती है जो एक समूह के लोगों को दूसरे से अलग करती है। भारत की विविधता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करने वाले विभिन्न समूहों के अस्तित्व के कारण भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विविधता वाला देश माना जाता है। इन विविधताओं के बीच एकता के सूत्र भी रहते हैं जो एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करते हैं।

भारत में विविधता के सांस्कृतिक तत्त्व

भाषायी विविधता
- 22 आधिकारिक भाषाएँ एवं 1600 से अधिक बोलियाँ
- ये भाषाएँ एवं बोलियाँ एक लंबे समय में विकसित हुई तथा बहुत प्राचीन एवं दुर्लभ हैं, उदाहरण– संस्कृत व तमिल
- भाषाओं में व्यक्त विचारों एवं विषयों में मौलिक एकता

धार्मिक विविधता
- विश्व के सभी प्रमुख धर्म हिन्दू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन भारत में उपस्थित
- विदेशी धर्मों ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर एक ऐसी विशिष्ट शैली निर्मित की, जो अन्यत्र नहीं है। उदाहरण– गोवा एवं पुदुचेरी में ईसाई धर्म का स्वदेशी संस्कृति के साथ मिश्रण
- देश में सामाजिक ताने-बाने एवं पहचान

त्योहारों में विविधता
- क्षेत्र व समुदायों के सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण अपने-अपने त्योहार
- ये त्योहार उनकी संस्कृति का आधार हैं
- त्योहार इन समुदायों की पहचान को पीढ़ियों तक प्रसारित करने हेतु महत्त्वपूर्ण उदाहरण- केरल में पोंगल, पूर्वोत्तर में बिहू, पंजाब में लोहड़ी

नस्लीय (Race) विविधता
- भारत विश्व की प्रमुख नस्लों का घर
- ये नस्लें सैकड़ों वर्षों में एक-दूसरे से मिश्रित होकर वर्तमान रूप में आई। उदाहरण- द्रविड़, इंडो-आर्यन, आर्य-द्रविड़ियन

राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में सांस्कृतिक तत्त्वों का महत्त्व

- **अनेकता में एकता :** सांस्कृतिक तत्त्वों ने भारत को ऐसा देश बनाया जो सभी परंपराओं, धर्मों, मान्यताओं का सम्मान करता है। यही विशेषता भारत में विविधता में एकता के वाक्य को चरितार्थ करती है।
- **सहिष्णुता एवं बहुलतावाद :** विभिन्न धर्मों व मतों, प्रश्रय एवं बराबर का सम्मान देने से भारत में बहुलतावाद एवं सहिष्णुता का विकास हुआ, जो देश को एक विशिष्ट पहचान देता है।

इस प्रकार भारत में सांस्कृतिक तत्त्वों में विविधता से एक अद्वितीय एवं जीवंत समाज का निर्माण हुआ। यही सांस्कृतिक विविधता भारत को विश्व में एक अलग एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

2014

प्रश्न: ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिये, जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the various economic and socio-cultural forces that are driving increasing feminization of agriculture in India.

उत्तर : 2021–22 की नवीनतम कृषि जनगणना के अनुसार महिला किसानों का प्रतिशत बढ़कर 11.52 हो गया है। कृषि में बढ़ते हुए महिलाकरण के पीछे अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों का योगदान है।

प्रमुख आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक कारक निम्नलिखित हैं–

- भूमि के बढ़ते विखंडन ने निर्वाह कृषि पद्धति को कठिन बना किया है, इसलिये इसने पुरुषों के बीच प्रवास को प्रेरित किया है और महिलाओं को खेतों में काम करने के लिये मजबूर किया।
- विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में रोज़गार से अधिक कमाने के लिये पुरुषों के शहरी क्षेत्र में प्रवास को प्रोत्साहित किया।
- मज़दूरों के पलायन ने महिलाओं से खेतों में काम करना अनिवार्य कर दिया।
- संकट के कारण कृषि का महिलाकरण हुआ क्योंकि कई क्षेत्रों में परिवार के पुरुष की मृत्यु के कारण आजीविका कमाने की ज़िम्मेदारी महिला पर आ गई।
- ढीले पड़ रहे पितृसत्तात्मक रवैए ने भी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को स्वीकार किया है।
- भारतीय परंपरा में महिलाओं को कृषि कार्यों में हाथ बँटाना प्राचीन काल से ही मान्य रहा है, क्योंकि महिलाओं के घर से निकलकर कोई अन्य व्यापार या व्यवसाय करने की परंपरा नहीं रही।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी की अवस्था ने महिलाओं को भी खेतों में काम करने पर मजबूर किया है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक दशा को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हों।

- उच्च कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने और कृषि के माध्यम से सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने के लिये इस महिलाकरण को उचित सरकारी नीति द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण का स्तर पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, जिसके फलस्वरूप कृषि कार्य में उनकी भूमिका बढ़ रही है क्योंकि इसमें किसी विशेष शिक्षण या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही कृषि कार्यों में रचनात्मकता का अभाव भी कृषि के महिलाकरण के लिये ज़िम्मेदार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित करने में अनेक आर्थिक तथा सामाजिक कारणों का योगदान रहा है।

प्रश्न: संयुक्त परिवार का जीवनचक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है? चर्चा कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

The life cycle of a joint family depends on economic factors rather than social values. Discuss.

उत्तर : संयुक्त परिवार से आशय एक ऐसे परिवार से है, जिसमें एक से अधिक युगल दंपत्ति होते हैं और अक्सर दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं।

- आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि संयुक्त परिवार का जीवनचक्र सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। सामाजिक मूल्यों, संस्कारों तथा नैतिक कर्त्तव्यों के कमज़ोर व्यक्तियों को भी वही सुविधाएँ प्राप्त हो जाती है, जो परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त होती है किंतु अब ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि संयुक्त परिवार का जीवनचक्र सामाजिक मूल्यों की बजाये आर्थिक कारकों पर अधिक निर्भर करता है।
- संयुक्त परिवार में लोग संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं, जैसे- साझा घर, साथ-साथ खानपान, घरेलू वस्तुओं आदि का प्रयोग।
- स्तरीकृत जाति व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित किये गए संयुक्त पारिवारिक व्यवसायों के पहले के आर्थिक कारण संयुक्त थे। इसी तरह बैंकरों के व्यापारिक घरानों से पारिवारिक संबंध बन गए।
- संयुक्त परिवार में किसी सदस्य की आय बहुत अधिक हो जाती है तो उसमें संयुक्त परिवार से अलग होकर, एकल परिवार बनाने की प्रकृति बढ़ जाती है।
- औद्योगीकरण और भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप बेहतर रोज़गार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में युवा अपने परिवार से दूर जाकर बस रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है जिससे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार के जीवन चक्र को मुख्य रूप से आर्थिक कारक प्रभावित करते है। हालाँकि भारत जैसे देशों में संयुक्त परिवार के बने रहने में सामाजिक मूल्यों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। ये मूल्य कम मात्रा में ही सही, लेकिन भारतीय समाज में अभी भी विद्यमान हैं।

प्रश्न: भारत में एक मध्यमवर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र (पेट्रिआर्की) किस प्रकार करता है?

(150 शब्द, 10 अंक)

How does patriarchy impact the position of a middle class working woman in India?

उत्तर : भारतीय समाज अपने आचरण और व्यवहार में सदियों से पितृतंत्रात्मक या पितृसत्तात्मक रहा है। इसने महिलाओं की स्थिति को बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया है। मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाओं की स्थिति को तो इसने और भी ज़्यादा प्रभावित किया है।

- एनएसएसओ के नवीनतम 78वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कामकाजी महिलाओं में कमी आई है। WWF (विश्व आर्थिक मंच) द्वारा किये गए अध्ययन में भारत 2022 में लैंगिक समानता में 153 देशों में 135वें स्थान पर है।
- बढ़ती आर्थिक संपन्नता के साथ कार्यबल से महिलाओं की वापसी, क्योंकि उनसे जाति और समुदाय के सम्मान का बोझ उठाने की उम्मीद की जाती है।
- पितृसत्ता महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने से रोकती है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य स्वास्थ्य संकेतक कम होते हैं।
- कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि कार्यबल से महिलाओं की वापसी उच्च शिक्षा में अधिक भागीदारी के कारण है, लेकिन यह अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।
- पितृसत्ता महिलाओं की तुलना में पुरुष बच्चे की शिक्षा पर भी परिवार खर्च करता है जिसके परिणामस्वरूप महिला की आर्थिक उत्पादकता कम होती है।
- आमतौर पर कपड़ा कारखानों में कार्यरत महिलाओं को कंपनी कानून द्वारा सीमित किया जाता था जो रात की पाली को रोकता था- यह कानून पितृसत्तात्मक चिंताओं से प्रेरित है।
- महिलाओं की आय उनके परिवार के लिये अतिरिक्त आय के रूप में ही मानी जाती है। विडंबना तो यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों समान पद और समान वेतन पर कार्य करते हैं तो भी पति को पत्नी से श्रेष्ठतर समझा जाता है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई महिला बाहर नौकरी करती है और उसके बच्चों की देखभाल सही तरह से न हो पाए तो पुरुषवादी समाज इसके लिये महिला को ही दोषी मानता है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि पितृतंत्रात्मक भारतीय समाज मध्यमवर्गीय कामकाजी महिलाओं को अत्यधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। काम-काज करने के बावजूद किसी भी मसले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से उन्हें दूर रखा जाता है। परंतु वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक बदलावों के चलते इनकी अवस्थिति में परिवर्तन आ रहा है तथा इनके कार्यों को महत्ता दी जा रही है जिससे तेज़ी से समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

प्रश्न: क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिये प्रतिकूल स्त्री-पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Why do some of the most prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women? Give your arguments.

उत्तर: भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेश, जैसे- हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि लिंगानुपात के मामले में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। यहाँ तक कि ओडिशा, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में लिंगानुपात यहाँ से बेहतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात में भी अत्यधिक गिरावट आई है।

समृद्ध प्रदेशों में भी कम लिंगानुपात की स्थिति यह दर्शाती है कि इन क्षेत्रों में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव में कोई कमी नहीं आई है। पुरुष वर्चस्व की प्रधानता से संबंधित प्रचलित विभिन्न मूल्य और अंधविश्वास यहाँ अभी भी बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में लोग लड़की के पैदा होने से डरते हैं क्योंकि यहाँ दहेज प्रथा तथा खाप पंचायतों द्वारा लड़कियों पर ढेर सारे प्रतिबंध लगाने और लड़कियों को केवल एक वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता पाई जाती है।

यही नहीं इन समृद्ध क्षेत्रों में लिंग जाँच का प्रचलन बहुत ही सामान्य है क्योंकि ऐसे अस्पताल और तकनीक यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। भ्रूण की लिंग जाँच गैर-कानूनी होने के बावजूद इसका प्रयोग यहाँ धड़ल्ले से होता है। अत: कानूनों का सख्ती से क्रियान्वयन न हो पाना भी इसके पीछे एक प्रमुख कारण के रूप में विद्यमान है।

इस प्रकार स्वयं समृद्धि ही इन क्षेत्रों में लिंगानुपात के कम होने का मूल कारण है, क्योंकि इसी समृद्धि को स्थायी रखने की चाह में लोग लड़कों की कामना रखते हैं, क्योंकि लड़की होने की स्थिति में उसके विवाह (दहेज) आदि में उनका धन खर्च ही होगा। अत: भ्रूण लिंग की जाँच के पश्चात् लड़की होने की स्थिति में उसको कोख में ही मार दिया जाता है। इस बुराई से निपटने के लिये कानूनों के सख्ती से क्रियान्वयन तथा पुरुषवादी मानसिकता में परिवर्तन लाने की नितांत आवश्यकता है।

अगर उपर्युक्त कारकों को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है कि केवल समृद्ध प्रदेशों में ही महिलाओं के लिंगानुपात में कमी है, अपितु भारत के अन्य प्रदेश जो सामान्य रूप से अति पिछड़े हैं, वहाँ भी लिंगानुपात में कमी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर सिक्किम में 890, जम्मू-कश्मीर में 889, अंडमान-निकोबार में 876 महिलाएँ प्रति हज़ार पुरुष पर विद्यमान हैं, वहीं केरल एवं पुदुच्चेरी जैसे समृद्ध प्रदेशों में लिंगानुपात क्रमश: 1084 तथा 1037 हैं।

अत: कहा जा सकता है कि भारत के समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के प्रतिकूल लिंगानुपात के उपर्युक्त कारकों को छोड़ दिया जाए तो अन्य क्षेत्रों में लिंगानुपात में कमी के अन्य कारक भी विद्यमान हैं, जिनकी खोज कर एक सतत लिंगानुपात की स्थिति बनाई जा सकती है।

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद-विवाद, पश्चिम में वाद-विवादों से किस प्रकार भिन्न हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

How do the Indian debates on secularism differ from the debates in the West?

उत्तर: धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। यह आधुनिकता के आगमन और विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान तथा तर्कशक्ति के उदय से संवर्द्धित है।

पाश्चात्य संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता से आशय चर्च और राज्य की पृथकता से है अर्थात् राज्य धर्म से पूर्णत: अलगाव की स्थिति में रहेगा। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया। यह पृथक्करण धर्मनिरपेक्षीकरण या जनजीवन से धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हटते जाने की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया था।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अर्थ में पश्चिमी भावार्थों के साथ कुछ और भाव भी जुड़े हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को सांप्रदायिकता के विपरीत भाव के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। इस भाव में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेष का भाव होना ज़रूरी नहीं होता। राज्य और धर्म के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का यह भाव सभी धर्मों के प्रति समान आदर का द्योतक है, न कि अलगाव या दूरी का। उदाहरण के लिये धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य सभी धर्मों के त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

भारतीय संविधान में भी धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय अथवा शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में कोई विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धर्म विशेष पर आधारित है।

इसके अतिरिक्त भारत में पश्चिम के विपरीत धर्म का एक दूसरा अर्थ नैतिक कर्त्तव्य से भी लगाया जाता है। अत: इस अर्थ में धर्म से निरपेक्ष होने का अर्थ होगा नैतिकता से विमुख हो जाना। शायद यही कारण है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथनिरक्षेपता शब्द को स्थान दिया गया।

इस प्रकार जहाँ पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता के आशय में सभी धर्मों से बराबर दूरी बनाए रखने का भाव शामिल है, वहीं भारतीय अर्थों में इसका आशय किसी एक धर्म की तरफ विशेष झुकाव न होकर सर्वधर्म समभाव से है।

2013

प्रश्न: भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)
Critically examine the effects of globalization on the aged population in India.

उत्तर: प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव व्याप्त रहा है। किंतु वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वृद्धजन के एकाकी जीवन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बढ़ती उम्र, देखभाल संबंधित विविध पहलुओं के ऊपर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव आरोपित किये हैं।

- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, भारत की जनसंख्या में वृद्ध जनों की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में लगभग 9% थी जो वर्ष 2036 तक 18% तक पहुँच सकती है।

वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण का

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
❑ वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ-साथ सर्वसुलभ बना दिया है।	❑ संयुक्त परिवार परंपरा के विघटन के कारण वृद्धजनों को एकाकी एवं उपेक्षित जीवन जीने हेतु विवश होना पड़ता है।
❑ वृद्ध जनसंख्या को दुनिया की बेहतरीन दवा एवं उपचार की तकनीकी उपलब्ध है।	❑ तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय विकास के कारण वृद्धजनों के ज्ञान एवं अनुभव को कम महत्त्व दिया जा रहा है।
❑ अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु जागरूकता बढ़ी है।	❑ वृद्धजनों के विरुद्ध होने वाली हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है।
❑ वैश्वीकरण के प्रभावों ने वृद्धजन के उपयोग से संबंधित विविध उत्पादों एवं सेवाओं से रोज़गार का भी सृजन किया है।	❑ परिवार एवं समाज पर बोझ समझे जाने के कारण वृद्धजनों का सामाजिक उत्पीड़न भी बढ़ा है।
❑ संचार तकनीकी के विकास के कारण मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग कर वृद्धजन अपने परिवार, गाँव तथा समाज से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं।	❑ वृद्धजनों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, जिससे वे 'वृद्धाश्रम' में रहने के लिये विवश हो जाते हैं।

वृद्धजनों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएँ

- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- बुजुर्गों के लिये 'SACRED' पोर्टल
- सीनियन केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) इनिशिएटिव

निष्कर्षत: वृद्धजन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों के विवेचन से यह पता चलता है कि वैश्वीकरण ने जहाँ कुछ क्षेत्रों में सुधार किया है, वहीं इससे कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति भी देखने को मिली है। अत: आवश्यकता है कि सरकार इनके लिये शुरू की गई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। इसके साथ ही जनजागरूकता अभियान के माध्यम से समाज को इनके प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाए।

प्रश्न: भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है, उनकी विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)
Discuss the various social problems which originated out of the speedy process of urbanization in India.

उत्तर: शहरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या की आवाजाही से है। भारत में शहरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जहाँ 2011 तक भारत की आबादी का 31.16% हिस्सा शहरों में रहता था वहीं 2018 में यह आँकड़ा 33.6% हो गया है।

भारत में जिस तीव्र गति से शहरीकरण में वृद्धि हुई है, उस गति से आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही तीव्र शहरीकरण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है।

सामाजिक समस्याएँ

- **अपर्याप्त आधारभूत संरचना:** भारत के कई शहर आधारभूत संरचना की कमी (साफ-सफाई की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पेयजल एवं बिजली तक पहुँच में कमी) का सामना कर रहे हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ:** शहरीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है, जहाँ मुख्य रूप से गरीब और मज़दूर वर्ग झुग्गियों एवं असंगठित बस्तियों में रहने को बाध्य है।
- **अपराध में वृद्धि:** शहरीकरण के साथ ही अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। खासकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है।
- अन्य गैर-कानूनी कार्यों, जैसे– हत्या, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति आदि को बढ़ावा मिला है।

सामाजिक अंतर्क्रिया में कमी

- शहरीकरण की बढ़ती दर के साथ लोगों के सामाजिक अंतर्क्रिया में कमी आई है। इससे पारिवारिक संबंध प्रभावित भी प्रभावित हुए हैं जिसके फलस्वरूप अलगाव की समस्या उत्पन्न हो गई है।
- **मानसिक बीमारियाँ:** शहरों की व्यस्त दिनचर्या के कारण लोगों में कुंठा और निराशा निरंतर बढ़ती जाती है। परिणामस्वरूप ज़्यादातर लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं।
- मानसिक बीमारियाँ भी शहरों की प्रमुख मनोसामाजिक समस्या बन गई है जिसके परिणामस्वरूप शहरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है।

समाधान

- शहरी नियोजन और प्रभाव शासन के नए दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना समय की आवश्यकता है।
- टिकाऊ, मज़बूत और समावेशी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिये।
- शहरी गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने हेतु टॉप-डाउन दृष्टिकोण के बजाय, बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

भारत में शहरीकरण में वृद्धि से केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है। अत: आवश्यक है कि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिये। ताकि भविष्य में भारत एक सुनियोजित शहरीकरण वाले देश के रूप में उभरे।

प्रश्न: "महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सहायता को बढ़ावा मिलना चाहिये।" टिप्पणी कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

"Male membership needs to be encouraged in order to make women's organization free from gender bias." Comment.

उत्तर : महिला संगठन समाज में व्याप्त लिंग-भेद को दूर करने के लिये संघर्षरत रहते हैं। किंतु ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर महिला संगठनों में केवल महिला सदस्य ही होती हैं। हालाँकि कुछ संगठनों में पुरुष सदस्य भी होते हैं, किंतु उनकी संख्या नाममात्र की ही होती। यह भी एक तरह का लिंग-भेद ही है।

महिला संगठनों में पुरुष सदस्यता की आवश्यकता

- पुरुषों की मानसिकता को एक पुरुष ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। अत: महिला संगठनों में पुरुषों की उपस्थिति लाभकारी होगी।
- पुरुष सदस्य महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को समाज के अन्य पुरुष सदस्यों के सामने बेहतर ढ़ंग से प्रकट कर सकते हैं।
- महिला सशक्तीकरण हेतु संघर्ष करना केवल महिलाओं का कान नहीं है, पुरुषों को भी बराबर की ज़िम्मेदारी निभानी होगी।
- महिला संगठनों में पुरुषों सदस्यता को प्रोत्साहित करना दृष्टिकोणों की विविधता को बढ़ाता है जिससे लैंगिक मुद्दों की समग्र समझ बनाने में मदद मिलती है।

कई बार इस संदर्भ में शिकायतें आती हैं कि महिलाओं ने पुरुषों पर झूठा आरोप लगाया है (दहेज़, शारीरिक शोषण आदि के मामले) में, महिला संगठनों की भूमिका होती है।

अत: महिला संगठनों में पुरुषों को शामिल करने से उनमें लिये जाने वाले निर्णयों में तार्किक रूप से संतुलन स्थापित होगा तथा निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होंगे। इस प्रकार महिला संगठनों में पुरुषों की भागीदारी वांछनीय हो जाती है।

प्रश्न: प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना, पृथक् राज्य की मांग का मुख्य कारण है। विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Growing feeling of regionalism is an important factor in the generation of demand for a separate state. Discuss.

उत्तर : प्रादेशिकता की भावना में एक राज्य अथवा क्षेत्र के हितों को पूरे देश अथवा दूसरे क्षेत्रों या राज्यों के विरुद्ध पेश करने की कोशिश की जाती है, साथ ही ऐसे तथाकथित हितों के आधार पर संघर्ष को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। भारत में प्रादेशिकता की भावना भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों तथा भौगोलिक विविधताओं के कारण पाई जाती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की तीव्र मांग उठी। अत: भारत को नृजातीय-भाषायी राज्यों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ा। इसके पश्चात् भी देश के कई क्षेत्रों में पृथक् राज्यों की मांग जारी रही। सन् 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रूप में तीन नए राज्यों का गठन हुआ। ये राज्य विकास की प्रक्रिया में पिछड़ने के साथ-साथ प्रादेशिक पहचान के आधार पर निर्मित हुए। 2014 में तेलंगाना के रूप में पृथक् राज्य के निर्माण के आधार में भी विकास के साथ-साथ क्षेत्रीयता का मुद्दा प्रमुख था।

वर्तमान में भी महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड व पूर्वांचल तथा असम में बोडोलैंड के रूप में पृथक् राज्यों की मांग जारी है। यद्यपि इन मांगों के पीछे प्रादेशिकता की भावना के साथ ही इन क्षेत्रों के विकास में अनदेखी, प्रमुख कारणों के रूप में विद्यमान हैं, किंतु कुछ मामलों में प्रादेशिकता की यह प्रवृत्ति राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं का भी परिणाम है। विभिन्न राजनीतिक दल क्षेत्रीय पिछड़ेपन को आधार बनाकर आम जनता को भावनात्मक आधार पर संगठित करने का प्रयास करते हैं।

इस प्रकार पृथक् राज्यों की मांग में प्रादेशिकता की भावना एक प्रमुख कारक के रूप में विद्यमान है और इस प्रादेशिकता को बढ़ावा देने में राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा और क्षेत्रीय वंचना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।